



HO/Finance/Share/240/2025 -26

Date: 19.02.2026

National Stock Exchange of India Ltd.

“Exchange Plaza”
Plot no. C/1, G Block
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai – 400 051

NSE Scrip Symbol: UCOBANK

Madam/Dear Sir

Notice of Extraordinary General Meeting of the Bank

Further to our letter no. HO/Finance/Share/229/2025-26 dated 07.02.2026, we enclose the notice of the Extraordinary General Meeting (EGM) of the Bank scheduled to be held on Monday, 16th March, 2026 at 11.00 am through Video Conference/Other Audio-Video Means (VC/OAVM). We share the important dates of the EGM as tabulated hereunder:

Agenda of the EGM	<ol style="list-style-type: none"> Election of one Shareholder Director in terms of the provisions of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970. To consider and approve the extension of tenure of Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director on the Board of Bank for a further period of three years, pursuant to GOI notification no. eF.No.4/4(iv)/2024-BO.I dated 15th September 2025.
Specified/cut-off date	<p>For Agenda item 1 : 16th February, 2026 (Nominate, Contest and Voting)</p> <p>For Agenda item 2 : 09th March, 2026 (Attendance and Voting)</p>
Remote e-voting	From 9.00 am on 12 th March, 2026 till 5:00 pm on 15 th March, 2026
Last date for submission of nominations	27 th February, 2026 upto 05:00 PM

The above information is submitted in pursuance of SEBI (LODR) Regulations. Please take the above on your records and disseminate.

Yours sincerely,

For UCO Bank

(Vikash Gupta)
Company Secretary

Encl : as stated.



(भारत सरकार का उपक्रम)

सम्मान आपके विश्वास का

(A Govt. of India Undertaking)

Honours Your Trust

असाधारण आम बैठक की सूचना

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) अन्य ऑडियो/
वीडियो साधनों (वीसी/ओएवीएम) के माध्यम से
Through Video Conferencing/
Other Audio-Visual Means((VC/OAVM)

सोमवार, 16 मार्च, 2026

प्रातः 11.00 बजे

Monday, 16th March, 2026
at 11.00 A.M

प्रधान कार्यालय : 10 बी.टी.एम. सरणी, कोलकाता - 700001

Head Office : 10, B.T.M. Sarani, Kolkata - 700001

वेबसाइट / Website : www.uco.bank.in



यूको बैंक

UCO BANK

प्रधान कार्यालय: 10, बी.टी.एम.सरणी, कोलकाता-700001
Head Office : 10, B. T. M. Sarani, Kolkata - 700001

विषय-सूची / Table of Contents

मद	पृष्ठ सं./Page No.	Item	पृष्ठ सं./Page No.
नोटिस	3	Notice	29
व्याख्यात्मक विवरण	4	Explanatory Statements	30
ई-वोटिंग के सामान्य अनुदेश	14	General Instruction for e-voting	40
नामांकन फॉर्म, घोषणा और वचनपत्र	19	Nomination Form, Declaration and Undertaking	45
भौतिक शेयरों के धारकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना	27	Important notice to holders of Physical Shares	53

महत्वपूर्ण तारीख/कार्यक्रम / Important Dates/Programme

वीडियो कॉन्फ्रेंस/अन्य ऑडियो-विचुअल माध्यमों (वीसी/ओएवीएम) के माध्यम से असाधारण आम बैठक की तारीख और समय Date and time of Extraordinary General Meeting through Video Conference/Other Audio-Visual Means (VC/OAVM)	सोमवार, 16.03.2026 Monday 16.03.2026
चुनाव में नामांकन, चुनाव लड़ने और मतदान के लिए शेयरधारकों की पात्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कट-ऑफ/निर्दिष्ट तारीख Cut-off/Specified date for the purpose of ascertaining eligibility of the shareholders for nominating, contesting and voting in the Election.	सोमवार, 16.02.2026 Monday 16.02.2026
नामांकन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि Last date of submission of Nomination Forms	शुक्रवार, 27.02.2026 शाम 5.00 बजे तक Friday, 27.02.2026 by 5.00 pm
नामांकन की जांच Scrutiny of Nominations	सोमवार, 02.03.2026 Monday, 02.03.2026
नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि Last date of Withdrawal of Nominations	बुधवार, 11.03.2026 शाम 5:00 बजे तक Wednesday, 11.03.2026 by 5:00 pm
निदेशक की नियुक्ति से संबंधित कार्यसूची मद के संबंध में ई-वोटिंग के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि (चुनाव के अलावा) Cut-Off date for determining the eligibility of shareholders for e-voting in respect of the Agenda Item relating to the appointment of Director (Other than Election)	सोमवार, 09.03.2026 Monday, 09.03.2026
ई-वोटिंग के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधियों की नियुक्ति के संकल्प की प्राप्ति की अंतिम तिथि Last date of receipt of resolutions appointing Authorized Representatives for e-voting	बुधवार, 11.03.2026 Wednesday, 11.03.2026
ई-वोटिंग की तिथि Date of e-voting	गुरुवार, 12.03.2026 (सुबह 9.00 बजे) से रविवार, 15.03.2026 (शाम 5.00 बजे) तक Thursday, 12.03.2026 (9.00 A.M) to Sunday, 15.03.2026 (5.00 P.M)
असाधारण आम बैठक का मानित (डीम्ड) स्थान Deemed Venue of the EGM	यूको बैंक प्रधान कार्यालय, 10 बी टी एम सरणी, कोलकाता- 700001 UCO Bank Head Office, 10 BTM Sarani, Kolkata-700001



यूको बैंक, प्रधान कार्यालय : 10 बी.टी.एम. सरणी, कोलकाता - 700001

सूचना

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि यूको बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक **सोमवार, 16 मार्च, 2026** को पूर्वाह्न 11:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से निम्नलिखित कार्य को निपटाने के लिए आयोजित की जाएगी:

मद संख्या 1: शेयरधारक निदेशक का चुनाव:

बैंकिंग कंपनीज (एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स) एकट, 1970 (जिसे इसके बाद 'एक्ट' कहा जाएगा) की धारा 9(3)(आई) के तहत, बैंकिंग रेगुलेशन एकट, 1949 (जिसे इसके बाद 'बी आर एक्ट' कहा जाएगा) और नेशनलाइज़ेड बैंक्स (मैनेजमेंट एंड मिसलेनियस प्रोविज़न्स) स्कीम, 1970 (जिसे इसके बाद 'स्कीम' कहा जाएगा) और यूको बैंक (शेयर्स एंड मीटिंग्स) रेगुलेशंस, 2003, जैसा कि संशोधित किया गया है (जिसे इसके बाद 'रेगुलेशंस' कहा जाएगा), जो एकट की धारा 19 के तहत बनाए गए हैं, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (कमर्शियल बैंक्स - गवर्नेंस) डायरेक्शंस, 2025 दिनांक 28.11.2025 और उसमें आगे कोई संशोधन, यदि कोई हो (जिसे इसके बाद 'आरबीआई निर्देश' कहा जाएगा) के अनुसार, बैंक के शेयरधारकों (केंद्र सरकार के अलावा) में से एक डायरेक्टर को चुनने के लिए और निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करके:-

“यह तय किया जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा बैंक के शेयरहोल्डर्स में से चुने गए एक डायरेक्टर को, एकट की धारा 9(3)(आई) के साथ-साथ बी आर एक्ट, स्कीम, रेगुलेशन, आरबीआई निर्देशों के अनुसार, कैज़ुअल वैकेंसी में, इस बैंक का डायरेक्टर नियुक्त किया जाता है, जो पद संभालने की तारीख/मानी गई तारीख से 09.01.2028 तक की अवधि के लिए होगा।”

उपरोक्त प्रस्ताव को सेबी (लिस्टिंग ऑफिलिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस, 2015 के रेगुलेशन 25 (2ए) के प्रावधानों के तहत भी पास माना जाएगा, जैसा कि संशोधित किया गया है।

मद संख्या 2: यूको बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री राजेंद्र कुमार सबू का कार्यकाल तीन साल के लिए और बढ़ाने के लिए मंजूरी।

विचार करने के लिए और यदि उपयुक्त समझा जाए तो साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित को पारित करने के लिए :

“यह तय किया जाता है कि सेबी (लिस्टिंग ऑफिलिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशन 17 (1सी) के पहले प्रोविज़ों के अनुसार, जैसा कि संशोधित किया गया है, जिसे बैंकिंग कंपनीज (एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स) एकट, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के कलॉज (ए) के साथ पढ़ा जाए, जिसे नेशनलाइज़ेड बैंक (मैनेजमेंट एंड मिसलेनियस प्रोविज़न्स) स्कीम, 1970 के पैराग्राफ 8 (1) के साथ पढ़ा जाए, केंद्र सरकार ने अपने नोटिफिकेशन नंबर eF.No.4/4(iv)/2024-BO.I दिनांक 15 सितंबर 2025 के ज़रिए, श्री राजेंद्र कुमार साबू, कार्यपालक निदेशक, यूको बैंक का कार्यकाल उनके वर्तमान अधिसूचित कार्यकाल जो 20 नवंबर, 2025 को समाप्त हो गया है, से आगे तीन साल की और अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया गया है, और इसे एतद्वारा मंजूरी दी जाती है।”

निदेशक मंडल के आदेश से

कृते यूको बैंक

हस्ता/-

(अश्वनी कुमार)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 19.02.2026



1. व्याख्यात्मक विवरण

इस नोटिस में दिए गए मद संख्या 1 और 2 के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य से संदर्भित व्याख्यात्मक विवरण निम्नलिखित हैं:

मद संख्या 1:- शेयरधारक निदेशक का चुनाव

बैंकिंग कंपनीज (एकिविजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स) एकट, 1970 की धारा (9)(3)(आई) के अनुसार, बैंक के बोर्ड में केवल एक शेयरहोल्डर डायरेक्टर को ही चुना जा सकता है क्योंकि बैंक में मौजूदा पब्लिक शेयरहोल्डिंग 16% से कम है।

इसके अनुसार, शेयरधारकों (केंद्र सरकार को छोड़कर) ने सुश्री रचना खरे को शेयरधारक निदेशक के रूप में चुना था, जिन्होंने 10 जनवरी 2025 को पदभार ग्रहण किया था। उन्होंने 25 दिसंबर 2025 के अपने पत्र के माध्यम से बैंक के शेयरधारक निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है और 25 दिसंबर, 2025 से बैंक के निदेशक नहीं रहीं।

सुश्री रचना खरे के निदेशक पद से हटने के बाद, हमारे बैंक में एक शेयरहोल्डर डायरेक्टर का पद रिक्त हो गया है।

नेशनलाइज़ेड बैंक (मैनेजमेंट एंड मिसलेनियस प्रोविजन्स) स्कीम, 1970 के क्लॉज़ 11बी में यह बताया गया है कि (i) अगर किसी चुने हुए डायरेक्टर का कार्यकाल खत्म होने से पहले कोई वैकेंसी होती है, तो उस वैकेंसी को चुनाव से भरा जाएगा और (ii) इस तरह चुना गया व्यक्ति अपने पिछले डायरेक्टर के कार्यकाल के बचे हुए समय के लिए पद पर रहेगा।

इसलिए, नेशनलाइज़ेड बैंक (मैनेजमेंट एंड मिसलेनियस प्रोविजन्स) स्कीम, 1970 के क्लॉज़ 11बी के प्रावधानों के अनुसार, कैज़ुअल वैकेंसी में चुने जाने वाले शेयरहोल्डर डायरेक्टर का कार्यकाल 09.01.2028 तक होगा, यानी उनकी पिछली डायरेक्टर, सुश्री रचना खरे के कार्यकाल के बचे हुए हिस्से तक।

रेगुलेशन के धारा 63 (i) के प्रावधानों के अनुसार, डायरेक्टर को सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़कर, रजिस्टर में दर्ज शेयरहोल्डर्स द्वारा यूको बैंक की जनरल मीटिंग में अपने बीच से चुना जाना है।

उक्त खाली जगह को भरने के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 16 मार्च, 2026 को होने वाली ईजीएम में केंद्र सरकार के अलावा शेयरहोल्डर्स में से एक डायरेक्टर (शेयरहोल्डर डायरेक्टर) का चुनाव कराने का फैसला किया है।

इसलिए शेयरधारक (केंद्र सरकार के अतिरिक्त) विभिन्न और प्रासंगिक अधिनियम, योजना, विनियम, अधिसूचना और दिशानिर्देशों में विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार अपने नामांकन भेजने के हकदार हैं।

शेयरधारक निदेशक का चुनाव शेयरधारकों द्वारा बैंक को प्रस्तुत नामांकन की जांच करने तथा निदेशक मंडल/निदेशक मंडल की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा उसकी 'उपयुक्त एवं उचित' स्थिति के निर्धारण किए जाने तथा असाधारण आम बैठक में चुनाव के बाद किया जाएगा। इस रीति से चुना गया शेयरधारक निदेशक चुनाव तारिख के आगले दिन से अपना कार्यभार ग्रहण करेगा तथा तीन वर्षों के लिए पद धारित करेगा 09.01.2028 तक।

2. विधिक प्रावधान

इस संबंध में प्रासंगिक उद्धरण/प्रासंगिक अधिनियम के अंश/योजना/विनियम/अधिसूचनाएं/दिशानिर्देश नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:



अधिनियम/योजना/विनियम/ अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949	धारा 5 (एनई)	पर्याप्त हित
	धारा 16 (1)	सामान्य निदेशकों पर निषेध
	धारा 20	अपने किसी निदेशक को या उसकी ओर से ऋण या अग्रिम देने पर प्रतिबंध
बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970	धारा 3(2ई)	वोट देने के अधिकार पर प्रतिबंध
	धारा 9(3)(i)	शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या
	धारा 9(3ए)(ए) से (सी) तक	कतिपय विषयों में विशेष ज्ञान
	धारा 9(3एए) धारा 9(3एबी)	कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा/होगी जब तक कि उसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ट्रैक रिकार्ड, सत्यनिष्ठा और अन्य किसी मानदंड के आधार पर उपयुक्त और उचित नहीं पाया जाता हो।
	धारा 9(3बी)	उक्त अधिनियम की धारा 9 (3ए) और 9 (3एए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते वाले निर्वाचित निदेशक को हटाने का भारतीय रिजर्व बैंक का अधिकार।
	धारा 13(2)	निष्ठा और गोपनीयता के प्रति कर्तव्य
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970	खंड 9(4)	निर्वाचित निदेशकों का कार्यकाल
	खंड 10	बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने की अयोग्यताएं
	खंड 11	निदेशक के कार्यभार त्याग
	खंड 11ए	निर्वाचित निदेशक को पद से हटाया जाना
	खंड 11बी	निर्वाचित निदेशक के पद की आकस्मिक रिक्ति को भरना
	खंड 12(8)	कुछ व्यवस्थापनों जिसमें निदेशकों की रुचि है, पर निदेशकों द्वारा प्रकटीकरण
	धारा 14ए विशेष प्रावधान	अगर बोर्ड को लगता है कि कमेटी की मीटिंग के लिए कोरम पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस कमेटी में कोई जगह खाली है या उसका कोई सदस्य खुद को अलग कर लेता है, तो बोर्ड वह कार्य कर सकता है।



अधिनियम/योजना/विनियम/ अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
यूको बैंक (शेयर और मीटिंग) विनियम, 2003, जैसा कि संशोधित किया गया है	विनियम 10	संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग
	विनियम 63	जनरल मीटिंग में निदेशकों का चुनाव किया जाएगा
	विनियम 64	शेयरधारकों की सूची
	विनियम 65	चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन
	विनियम 66	नामांकनों की जांच
	विनियम 67	चुनाव विवाद
	विनियम 68	मतदान अधिकारों का निर्धारण
	विनियम 69	विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मतदान
भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - गवर्नेंस) निर्देश, 2025 दिनांक 28.11.2025	बैंकिंग कंपनीज़ (अधिग्रहण और उपकर्मों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3ए) और धारा 9(3एबी) के अनुसार	चुने हुए निदेशकों के लिए फिट और उचित मानदंड।
इस संबंध में किसी भी अन्य परिपत्र सहित आरबीआई मास्टर परिपत्र दिनांक 1 जुलाई 2015, यथासंशोधित	निदेशकों के संबंधियों को ऋण एवं अग्रिम दिया जाना	
सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015	स्वतंत्र निदेशक एवं उनकी नियुक्ति से संबंधित प्रावधान	

शेयरहोल्डर्स की सुविधा के लिए, एक्ट, रेगुलेशन, स्कीम्स और आरबीआई के निर्देशों के जरूरी हिस्से बैंक की वेबसाइट www.uco.bank.in पर उपलब्ध होंगे। ये हिस्से नॉमिनेशन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख यानी 27 फरवरी, 2026 को शाम 05.00 बजे तक hosgr.calcutta@uco.bank.in पर ईमेल से रिक्वेस्ट मिलने पर इच्छुक उम्मीदवारों को ईमेल भी किए जाएंगे।



3. मतदान अधिकार

कार्यसूची मद सं. 1 के लिए बैंक ने केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों में से एक निदेशक के चुनाव में भाग लेने (नामांकन, चुनाव लड़ने और वोट देने) के लिए शेयरधारकों की पात्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सोमवार, 16 फरवरी, 2026 को निर्दिष्ट तिथि (कट-ऑफ तिथि) के रूप में तय किया है।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2ई) के तहत प्रतिबंधों के अधीन, केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारक जो निर्दिष्ट/कट-ऑफ तिथि पर शेयरधारक के रूप में पंजीकृत हुए हैं, बैंक के शेयरधारक निदेशक के चुनाव में वोट देने के हकदार होंगे और उस तिथि को उसके पास मौजूद प्रत्येक शेयर के लिए उसका एक वोट होगा। हालांकि, ये नोट किया जाये कि केंद्र सरकार के निदेशक चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र नहीं हैं, परन्तु पर्यवेक्षक के रूप में ईजीएम में उपस्थित रहेंगे।

कार्यसूची मद सं. 2. बैंक ने सेबी लिस्टिंग विनियम 44 के साथ पढ़े गए कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के संदर्भ में ई-वोटिंग के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए सोमवार, 9 मार्च, 2026 को अंतिम तारीख तय की है।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उप-धारा (2ई) के अनुसार, केंद्र सरकार के अलावा संबंधित नए बैंक का कोई भी शेयरधारक, अपने पास धारित सभी शेयर के संदर्भ में बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकार के दस प्रतिशत से अधिक के वोटिंग अधिकार के प्रयोग का हकदार नहीं होगा।

इसके अलावा विनियमों के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो वोटिंग के संबंध में रजिस्टर में प्रथम नामित व्यक्ति को उसका एकमात्र धारक माना जाएगा। इस प्रकार, यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर हैं, तो पहला नामित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने का हकदार होगा और वही नामांकन, चुनाव लड़ने और मतदान करने के लिए पात्र होगा।

4. चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी:

जैसा कि पहले ही बताया गया है, वे शेयरहोल्डर जिनका नाम फिजिकल मोड में शेयर रखने वालों के लिए शेयरहोल्डर्स के रजिस्टर में या डीमैट मोड में शेयर रखने वालों के लिए NSDL/CDSL द्वारा दी गई बेनिफिशियल ऑनर्स की लिस्ट में, तय तारीख यानी सोमवार, 16 फरवरी, 2026 को है, वे सेंट्रल गवर्नर्मेंट को छोड़कर दूसरे शेयरहोल्डर्स में से एक डायरेक्टर के चुनाव में हिस्सा लेने, यानी नॉमिनेट करने, चुनाव लड़ने और वोट देने के हकदार होंगे।

5. शेयरधारकों की सूची

यूको बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2003, यथासंशोधित के विनियम 64 में यथा वर्णित, शेयरधारकों की सूची की एक प्रति (इलेक्ट्रॉनिक रूप में) कंपनी सचिव, यूको बैंक, वित्त विभाग, प्रधान कार्यालय, 2 इंडिया एक्सचेंज प्लेस, तीसरा तल, कोलकाता-700001 के पास दिनांक 23 फरवरी 2026 से उपलब्ध होगी और यह शेयरधारकों द्वारा यूको बैंक के पक्ष में कोलकाता में देय डिमांड ड्राफ्ट/भुगतान आदेश रु. 50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) के भुगतान पर खरीद के लिए उपलब्ध होगी। उक्त सूची खरीदने के इच्छुक उम्मीदवारों को एक वरचनपत्र देना होगा कि उक्त सूची का उपयोग चुनाव के लिए प्रचार में किया जाएगा तथा उसका कोई अन्यथा उपयोग नहीं किया जाएगा।

शेयरधारकों का रजिस्टर (इलेक्ट्रॉनिक रूप में) दिनांक 23 फरवरी 2026 से कंपनी सचिव, यूको बैंक, वित्त विभाग, प्रधान कार्यालय, 2 इंडिया एक्सचेंज प्लेस, तीसरा तल, कोलकाता-700001 में सभी कार्य दिवसों (बैंक अवकाश छोड़कर) सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा। यदि किसी शेयरधारक को चयनित/आंशिक भाग की जानकारी हेतु एक प्रति या कंप्यूटर प्रिंट की आवश्यकता होती है, तो वह उन्हें प्रत्येक 1000 शब्दों अथवा उसके आंशिक भाग, के लिए रु. 5/- (पाँच रुपये मात्र) की दर से राशि का पूर्व भुगतान करने पर प्रदान की जाएगी।



6. बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु अपेक्षित योग्यताएँ

अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसार जो बैंक का शेयरधारक है और अधिनियम की धारा 9(3)(i) के तहत जो बैंक का निदेशक के रूप में चुने जाने के इच्छुक है उसे

क) निम्नलिखित में से एक या अधिक विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए :

- कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- बैंकिंग
- सहकारिता
- अर्थशास्त्र
- वित्त
- विधि
- लघु उद्योग
- किसी अन्य विषय का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी हो

ख) जो जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो; अथवा

ग) कृषकों, श्रमिकों और कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो

आरबीआई निर्देश ने विशेषज्ञता के क्षेत्रों का विस्तार किया है, जिसमें (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान और निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन और (v) व्यवसाय प्रबंधन शामिल हैं, उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें बैंकों में निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है।

एकट की धारा 9(3ए) के अनुसार, बैंक का शेयरहोल्डर होने के नाते, जो उम्मीदवार बैंक का डायरेक्टर बनना चाहता है, उसके पास ट्रैक रिकॉर्ड, ईमानदारी और ऐसे अन्य मानदंडों के आधार पर 'फिट एंड प्रॉपर' स्टेटस होना चाहिए, जिन्हें रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया समय-समय पर इस संबंध में नोटिफाई कर सकता है। आरबीआई निर्देश, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकिंग कंपनीज (एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स) एकट 1970 की धारा 9(3)(आई) के प्रावधानों के तहत घट्ट के बोर्ड में डायरेक्टर के रूप में चुने जाने वाले व्यक्तियों के लिए 'फिट एंड प्रॉपर' मानदंड निर्धारित करता है। इसके अलावा, चुने गए डायरेक्टर को वाचाओं का विलेख निष्पादित करना होगा और इस संबंध में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित वार्षिक घोषणाएँ प्रस्तुत करनी होंगी।

7. बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने हेतु अयोग्यताएँ

क) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 10 की शर्तों के अनुसार, कोई भी ऐसा व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त होने और निदेशक होने के लिए अयोग्य होगा:

- यदि वह किसी भी समय दिवालिया घोषित कर दिया गया हो या उसने लेनदारों का भुगतान रोका हो या प्रशमन किया हो; अथवा



- यदि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त पाया गया हो और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो; अथवा
- यदि उसे फौजदारी न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किया गया हो, जिसमें नैतिक चरित्रहीनता भी शामिल है; अथवा
- यदि वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथा परिभाषित किसी अनुषंगी लाभ का पद धारण करता/करती है, इसके सहित कि वह अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ई) और (एफ) के तहत एवं बैंक के कर्मचारियों में से नामित किए गए प्रबंध निदेशक तथा निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशक का पद धारण करता/करती है एवं

ख) अगर बैंक के बोर्ड की नॉमिनेशन और रेम्यूनरेशन कमेटी को वह व्यक्ति उपेक्ष के हिसाब से 'फिट और सही' नहीं लगता है, तो ऐसे व्यक्ति को डायरेक्टर नहीं चुना जाएगा।

8. चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन:

रेगुलेशन के रेगुलेशन 65 के अनुसार और आरबीआई के निर्देशों और अलग-अलग एक्ट, नियमों, रेगुलेशन और गाइडलाइंस के दूसरे लागू प्रावधानों के अनुसार, डायरेक्टर के तौर पर चुनाव के लिए किसी उम्मीदवार का नॉमिनेशन तभी मान्य होगा, जब:

- निर्वाचन में सहभागिता हेतु शेयरधारकों की पात्रता के निर्धारण के प्रयोजन से निर्धारित विनिर्दिष्ट तिथि (कट ऑफ तिथि) 16 फरवरी, 2026 को उसकी शेयरधारिता या तो भौतिक या अभौतिक माध्यम से यूको बैंक के 100 (एक सौ) शेयरों से कम न हो जो कि उसके पास बैठक की तिथि तक बनी रहे और उसके बाद यदि वह निर्वाचित होता/होती है तो उसके कार्यकाल की समाप्ति तक न्यूनतम 100 (एक सौ) शेयर उसके पास रहने चाहिए।
- नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तारीख शुक्रवार 27 फरवरी, 2026 को यथास्थिति वह अधिनियम/योजना/विनियम/भारिबैंक अधिसूचना/आरबीआई निर्देश के अंतर्गत निदेशक बनने के अयोग्य न हुआ हो।
- अधिनियम के अंतर्गत निदेशक चुनने के हकदार कम से कम एक सौ शेयरधारकों अथवा उनके द्वारा विधिवत गठित अटार्नी द्वारा लिखित रूप में हस्ताक्षरित वैध नामांकन, बशर्ते शेयरधारक जहाँ कंपनी है, का नामांकन उक्त कंपनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा किया जाए और जहाँ ऐसा संकल्प किया जाता है वहाँ उस बैठक के, जहाँ इसे पारित किया गया था, अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित संकल्प की सही प्रति बैंक के प्रधान कार्यालय को कंपनी सचिव, यूको बैंक, वित्त विभाग, प्रधान कार्यालय, 2 इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कोलकाता 700001 को संबोधित करते हुए प्रेषित की जाएगी एवं ऐसी प्रति कंपनी के पक्ष में नामांकन समझी जाएगी।
- शेयरधारकों (न्यूनतम 100) द्वारा वैध नामांकन के साथ घोषणा प्रस्तुत की जानी चाहिए और उम्मीदवार द्वारा न्यायाधीश मजिस्ट्रेट/एशयोरेंस के रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष विधिवत हस्ताक्षरित यह घोषणा कि (I) वह नामांकन स्वीकार करता/करती है और निर्वाचन में भाग लेने का/की इच्छुक है. (II) वह बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 या बैंककारी कंपनी (उपकरणों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 या राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विधि प्रावधानों) योजना, 1970 या यूको बैंक (शेयर एवं बैठकें संशोधन विनियम, 2003 एवं भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना गैर सरकारी निदेशकों के लिए यथालागू भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अयोग्य घोषित नहीं किया है।
- नामांकन फॉर्म के साथ उसका विधिवत हस्ताक्षरित व्यक्तिगत विवरण (बायोडाटा) और इस आशय की पुष्टि होनी चाहिए कि ऐसे विवरण उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और उसकी यह वचनबद्धता कि वह इस घोषणा के बाद ऐसी कोई भी घटना, जो इस सूचना से संगत हो, बैंक को यथाशीघ्र पूर्णतया सूचित करेगा/करेगी।



- नामांकन फॉर्म एवं घोषणा फॉर्म का प्रोफार्मा इस नोटिस के साथ संलग्न है और बैंक की वेबसाइट www.uco.bank.in पर भी उपलब्ध है।

9. नामांकन फॉर्मों की प्रस्तुति

शेयरधारकों में से केंद्र सरकार के अतिरिक्त बैंक के निदेशक का चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारकों को प्रस्तुत करना होगा:

- यथानिर्धारित प्रारूप में विधिवत भरा गया घोषणा पत्र;
- निर्वाचन में भाग लेने हेतु पात्र न्यूनतम सौ शेयरधारकों से वैध नामांकन;
- इस नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप में संबंधित दस्तावेज, प्रशंसापत्र अर्थात बायो-डाटा, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, अनुभव आदि की स्व-प्रमाणित प्रतियों के साथ व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा पत्र और वचन पत्र

एक सीलबंद लिफाफे में जिस पर लिखा हो - “यूको बैंक- शेयरधारक निदेशक का चुनाव” को या तो हाथ से डिलीवरी द्वारा या स्पीड पोस्ट/पंजीकृत पोस्ट/कूरियर के माध्यम से निम्नलिखित पते पर भेजा जाए -

कंपनी सचिव,

यूको बैंक

वित्त विभाग, प्रधान कार्यालय

2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, तीसरा तल

कोलकाता - 700001

ताकि किसी भी कार्य दिवस को शुक्रवार, 27 फरवरी, 2026 को शाम 5.00 बजे या उससे पहले पहुंच सके।

उपर्युक्त नामांकन फॉर्म और अन्य दस्तावेज सभी प्रकार से पूर्ण होने चाहिए, अन्यथा; नामांकन अस्वीकृत किये जा सकते हैं।

कृपया ध्यान दें कि यदि नामांकन फॉर्म उपर्युक्त पते के अलावा किसी अन्य पते पर स्पीड पोस्ट/पंजीकृत पोस्ट/कूरियर के माध्यम से भेजा जाता है या कंपनी सचिव से पावती प्राप्त किए बिना हाथ से वितरित किया जाता है, तो बैंक नामांकन फॉर्म प्राप्त न होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

10. नामांकनों की जांच तथा निदेशकों का चुनाव:

- नामांकन प्राप्त होने की निर्धारित तिथि के बाद प्रथम कार्य दिवस सोमवार, 2 मार्च, 2026 को नामांकनों की जांच की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है, तो कारण दर्ज करने के पश्चात उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
- आरबीआई के निर्देश भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल के नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) द्वारा वैध नामांकनों की जांच की जाएगी। जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना और भारत सरकार के दिशानिर्देशों द्वारा अधिरेपित प्रतिबंध प्रकृत्या समान हैं, बैंक उम्मीदवारों की उपयुक्त और उचित स्थिति का निर्धारण करते समय दोनों में से कठोरतर को ध्यान में रख सकता है।
- बैंक नामांकन की जांच के समय या निदेशक मंडल के एनआरसी की सलाह के अनुसार उम्मीदवारों से उनकी उम्मीदवारी के समर्थन



में अतिरिक्त जानकारी, दस्तावेज मांग सकता है।

- जांच के बाद, अगर चुनाव से भरी जाने वाली एक वैकेंसी के लिए सिफ्ट एक ही वैलिड नॉमिनेशन होता है, तो नॉमिनेट किए गए और फिट और प्रॉपर पाए गए उम्मीदवार को तुरंत चुना हुआ मान लिया जाएगा और उसका नाम और पता चुने हुए उम्मीदवार के तौर पर पब्लिश किया जाएगा। ऐसी स्थिति में, कोई चुनाव/वोटिंग नहीं होगी और एकस्ट्रार्डीनरी जनरल मीटिंग में एजेंडा आइटम नंबर 1 पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे वापस ले लिया जाएगा। जिस उम्मीदवार को चुना हुआ माना जाएगा/घोषित किया जाएगा, वह उस तारीख के अगले दिन से पद संभालेगा जिस दिन उसे चुना हुआ माना जाएगा/घोषित किया जाएगा।
- यदि एक से अधिक वैध नामांकन प्राप्त होता है, तो चुनाव होगा और चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को निर्वाचित माना जाएगा और उनके नाम समाचार पत्रों और बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा और स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किया जाएगा।

11. नामांकन वापस लेना

अगर कोई कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन वापस लेना चाहता है, तो वह 11 मार्च, 2026 को या उससे पहले शाम 5.00 बजे तक, इस बारे में साइन किए हुए लेटर की स्कैन्ड कॉपी कंपनी सेकेटरी, यूको बैंक, हेड ऑफिस, कोलकाता को hosgr.calcutta@uco.bank.in पर भेजकर ऐसा कर सकता है।

12. मतदान परिणाम

बैंक ने मैसर्स एस एन अनंतसुब्रमण्यम एंड कंपनी, कंपनी सचिवों को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है, जो निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ईजीएम में दूरस्थ ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के संचालन की निगरानी करेंगे।

संवीक्षक ईजीएम के समापन के बाद के दो कार्य दिवसों के भीतर बैठक के अध्यक्ष को डाले गए कुल वोटों (रिमोट ई-वोटिंग और बैठक के दौरान ई-वोटिंग) पर एक समेकित संवीक्षक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और उसके बाद, बैंक स्टॉक एक्सचेंजों और बैंक की वेबसाइट पर संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ परिणाम घोषित करेगा।

13. चुनाव विवाद

यदि कोई विवाद होता है, तो उसे यूको बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2003 के विनियम 67 के अनुसार निपटाया जाएगा।

14. निदेशक को हटाया जाना

शेयरधारकों का ध्यान बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3बी) की ओर, जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 9(3)(i) के तहत निर्वाचित निदेशक, जो उक्त अधिनियम की धारा 9(3ए) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, उन्हें हटाने के भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकार की ओर आकृष्ट किया जाता है।

15. शेयर अंतरण एजेंटों के साथ पत्राचार

शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि उनके पंजीकृत पते या किसी अन्य विवरण में परिवर्तन, यदि कोई हो, तो वे डीमेट फॉर्म में रखे गए शेयरों के मामले में अपने निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से और भौतिक शेयरों के मामले में सीधे बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर सूचित करें :



मैसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड,
यूनिट : यूको बैंक,
सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबोवली,
वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500 032
टोल फ्री - 1-800-309-4001

किसी भी सवाल के लिए, आप शेयरहोल्डर्स के लिए अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs) और शेयरहोल्डर्स के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनेजर देख सकते हैं, जो <https://evoting.kfintech.com> के डाउनलोड सेवशन में उपलब्ध हैं या KFin Technologies Ltd के वाइस प्रेसिडेंट, श्री शशिधर एस मन्नावे से sashi.mannava@kfintech.com पर या टोल फ्री नंबर 1-800-309-4001 पर संपर्क कर सकते हैं।

16. शेयर अनुभाग और निवेशक शिकायत कक्ष

शेयरधारकों को त्वरित और कुशल सेवा प्रदान करने के लिए, बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, कोलकाता में निवेशक शिकायत कक्ष की स्थापना की है, शेयरधारक और निवेशक किसी भी सहायता के लिए नीचे दिए गए पते पर इस कक्ष से संपर्क कर सकते हैं:

श्री विकास गुप्ता, कंपनी सचिव, शेयर अनुभाग और निवेशक शिकायत कक्ष, यूको बैंक, प्रधान कार्यालय: 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस (तीसरा तल), कोलकाता- 700 001, टेलीफोन: 033 - 44557227

17. निदेशकों का हित

बैंक के निदेशकों को उनकी शेयरधारिता की सीमा तय और ऐसे निदेशक जो अपना नामांकन दाखिल करते हैं, उन्हें व्यवसाय की उपरोक्त वस्तु में संबंधित या रुचि रखने वाला माना जा सकता है।

मद संख्या 2:- यूको बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री राजेंद्र कुमार सबू का कार्यकाल तीन साल के लिए और बढ़ाने की मंजूरी।

श्री राजेंद्र कुमार सबू को शुरूमें भारत सरकार ने अपने नोटिफिकेशन eF.No.4/6/2021-BO.I दिनांक 21 नवंबर, 2022 के ज़रिए यूको बैंक के बोर्ड में तीन साल की अवधि के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया था, जो 20 नवंबर, 2025 को समाप्त हो गई थी। इसके बाद, केंद्र सरकार ने श्री राजेंद्र कुमार सबू, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यूको बैंक का कार्यकाल 20 नवंबर, 2025 को समाप्त हुए उनके मौजूदा कार्यकाल से आगे तीन साल की ओर अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया है।

श्री राजेंद्र कुमार सबू का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है:

श्री राजेंद्र कुमार सबू ने 1994 में पुराने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी और उन्हें फील्ड और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में अलग-अलग पदों पर बैंकिंग का अच्छा अनुभव है। उन्होंने कई जगहों पर ब्रांच हेड, रीजनल हेड और क्लस्टर हेड के तौर पर काम किया है। जनरल मैनेजर के तौर पर उन्होंने इंटीग्रेटेड ट्रेजरी और इंटरनेशनल बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट को हेड किया। यूको बैंक में शामिल होने से पहले, श्री सबू पंजाब नेशनल बैंक में चीफ जनरल मैनेजर थे और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इकोनॉमिक एडवाइजरी, MIS और डेटा एनालिटिक्स को हेड कर रहे थे।

श्री राजेंद्र कुमार सबू कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और उनके पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (बैंकिंग और फाइनेंस) में मास्टर डिग्री है। वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स (CAIIB) के सर्टिफाइड एसोसिएट हैं और उनके पास मैनेजमेंट में एडवांस्ड डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है। उन्होंने फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो (FSIB) द्वारा आयोजित घट्टा के सीनियर मैनेजमेंट के लिए लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम किया है।



श्री राजेंद्र कुमार सबू को बैंकिंग के कई क्षेत्रों जैसे ब्रांच बैंकिंग, केडिट, HR, ट्रेजरी आदि में अनुभव है।

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36 (3) के संदर्भ में अन्य विवरण इस प्रकार हैं:

- निदेशक का संक्षिप्त प्रोफाइल ऊपर दिया गया है जो बैंकिंग क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता को रेखांकित करता है। इसके, अलावा बैंकिंग व्यवसाय के संदर्भ में आवश्यक कौशल/क्षमताओं/विशेषज्ञता का मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा किया गया था और उसके आधार पर उनकी नियुक्ति की गई।
- निदेशकों के बीच में कोई परस्पर संबंध नहीं है।
- सूचीबद्ध संस्थाओं के साथ-साथ अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद, जहाँ से आरबीआई नामित कार्यकारी निदेशक ने पिछले तीन वर्षों में इस्तीफा दे दिया है – कोई नहीं।

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) के पहले परंतुक के अनुसरण में, बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनः नियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन अगली आम बैठक में लिया जाए।

ऊपर दिए गए नियमों का पालन करने के लिए, बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने शेयरहोल्डर्स से मंजूरी के लिए कार्यकारी निदेशक श्री राजेंद्र कुमार सबू की नियुक्ति की सिफारिश की।

श्री राजेंद्र कुमार सबू या उनके रिश्तेदारों को छोड़कर, बैंक के कोई भी डायरेक्टर या उनके रिश्तेदार और की मैनेजरियल पर्सनल, बैंक में अपनी शेयरहोल्डिंग की सीमा तक, अगर कोई हो, इस प्रस्ताव में दिलचस्पी नहीं रखते हैं या इससे संबंधित नहीं हैं।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते यूको बैंक

हस्ता/-

(अशवनी कुमार)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : कोलकाता

दिनांक: 19.02.2026



वीडियो कॉन्फ्रेंस/अन्य ऑडियो-विज़ुअल माध्यमों (वीसी/ओएवीएम) से असाधारण आम बैठक में पहुँच तथा उसमें भाग लेने तथा दूरस्थ ई वोटिंग समेत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने के लिए सामान्य अनुदेश।

1. वीडियो कॉन्फ्रेंस/अन्य ऑडियो-विज़ुअल माध्यमों (वीसी/ओएवीएम) से असाधारण आम बैठक

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ('MCA सर्कुलर') और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ('चक्र अधिकारी सर्कुलर') द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) या अन्य ऑडियो-विज़ुअल माध्यमों (OAVM) के ज़रिए असाधारण आम बैठक आयोजित करने के संबंध में जारी किए गए विभिन्न सर्कुलर के अनुसार और बैंकिंग कंपनीज़ (अधिग्रहण और उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और SEBI (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन में, असाधारण आम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) या अन्य ऑडियो-विज़ुअल माध्यमों (OAVM) के माध्यम से सदस्यों की किसी एक स्थान पर शारीरिक उपस्थिति के बिना आयोजित की जाएगी।

EGM के लिए तय जगह यूको बैंक हेड ऑफिस, 10, बीटीएम सरानी, कोलकाता-700001 होगी। क्योंकि EGM VC/OAVM सुविधा के ज़रिए होगी, इसलिए सेकेटेरियल स्टैंडर्ड 2 के तहत ज़रूरी होने पर भी इस नोटिस में रूट मैप नहीं जोड़ा गया है।

2. ईजीएम में भाग लेने की सुविधा

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने, ईजीएम के दौरान दूरस्थ ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान की सुविधा बैंक के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा प्रदान की जाएगी। मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ईजीएम के लिए अटेंडेंट एनेबलर के रूप में भी कार्य करेगा।

शेयरधारक नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में शामिल हो सकते हैं, जिसे शेयरधारकों के लिए 16 मार्च, 2026 को सुबह 10:30 बजे से यानी ईजीएम शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले खोला जाएगा। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में शामिल होने का विंडो बैठक प्रारंभ होने के निर्धारित समय के 30 मिनट बाद बंद की जाएगी।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भागीदारी की सुविधा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कम से कम 1000 सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रतिबंध में बड़े शेयरधारक (2% या अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारक), प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निवेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे। उन्हें पहले बिना किसी प्रतिबंध के ईजीएम में भाग लेने की अनुमति होगी।

3. उपस्थिति

कोरम की गणना के उद्देश्य से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति की गणना की जाएगी।

4. प्रॉक्सी और अधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

चूंकि यह ईजीएम एमसीए सर्कुलर के अनुसार वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। अनुरूप रूप से, सदस्यों द्वारा प्रोक्सी नियुक्त करने की सुविधा इस ईजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्रोक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं किए गए हैं।



हालाँकि, बॉडी कॉर्पोरेट्स को ईजीएम में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से उपस्थित होने के लिए अधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने का अधिकार है और वहाँ भाग लेकर ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट डाल सकते हैं। इस संदर्भ में, संबंधित बोर्ड प्रस्ताव की रैकन की हुई प्रति को उन अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के सत्यापित हस्ताक्षर के साथ, जो वोट डालने के लिए अधिकृत हैं, ईमेल के माध्यम से स्क्रूटिनाइजर को snv@snaco.net पर भेजना आवश्यक है, जिसमें एक प्रतिलिपि evoting@kfintech.com और hosgr.calcutta@uco.bank.in को भी भेजी जाए, बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले या बुधवार, 11 मार्च, 2026 तक।

किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को यूको बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नामित नहीं किया जा सकता।

5. वीडियो कॉन्फ्रेंस/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने हेतु शेयरधारकों के लिए निर्देश

- सदस्यों को KFin Technologies Limited द्वारा दी गई VC/OAVM सुविधा के ज़रिए EGM में शामिल होने की सुविधा दी जाएगी। सदस्य <https://emeetings.kfintech.com> पर जाकर 'वीडियो कॉन्फ्रेंस' पर क्लिक करके और रिमोट ई-वोटिंग केंडेंशियल का इस्तेमाल करके शेयरहोल्डर/सदस्य लॉगिन एक्सेस कर सकते हैं।
- ईजीएम के लिए लिंक दूरस्थ ई-वोटिंग पहचान का उपयोग करके शेयरधारक/ सदस्य लॉग-इन में उपलब्ध होगा। ईजीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्यों के लॉग-इन में उपलब्ध होगा, जहाँ ईवेंट और यूको बैंक को चुना जाना है।
- कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं हैं या उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम मिनट की भीड़ से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित दूरस्थ ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
- सदस्य बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप में गूगल क्रोम के माध्यम से बैठक में शामिल हो सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त, बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए सदस्यों को एक अच्छी गति वाली इंटरनेट का उपयोग करना अपेक्षित होगा।
- कृपया ध्यान दें कि मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से मोबाइल डिवाइस या टैबलेट या लैपटॉप से कनेक्ट होने वाले प्रतिभागियों को अपने नेटवर्क में उत्तार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो सुनाई या दिखाई नहीं देने का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की उक्त खामियों को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

6. इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 (यथासंशोधित) के आवश्यकताएं नियम 20 के अनुसार पठित एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित सेबी (सूचीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 (यथासंशोधित) के विनियमन 44 के प्रावधानों तथा एमसीए परिपत्रों के अनुसरण में बैंक वार्षिक आम बैठक में किए जाने वाले व्यवसाय के संबंध में अपने सदस्यों को दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है।

वे सदस्य जो सदस्यों के मत देने के अधिकार का निर्धारण करने के लिए निर्दिष्ट तारीख को शेयर धारण कर रहे हैं, मेसर्स केफिन टेक्नॉलॉजिस लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से या ई-एजीएम में मतदान करने के हकदार होंगे। जो व्यक्ति निर्दिष्ट तारीख को सदस्य नहीं हैं वे केवल सूचना के उद्देश्य से इस नोटिस को समझें।

यूको बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन, 2003 के अनुसार संयुक्त धारकों के मामले में, जिस सदस्य का नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार पहले प्रकट होगा, वह वार्षिक आम बैठक में मत देने का हकदार होगा, बशर्ते कि दूरस्थ ई-मतदान के जरिए मत पहले ही न डाल दिए गए हों।



7. डीमैट रूप में शेयर रखनेवाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए डिपॉज़िटरी(एनएसडीएल/सीडीएसएल) के जरिए दूरस्थ ई-मतदान हेतु अनुदेश

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदत्त ई-मतदान सुविधा पर सेबी के परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/ सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के अनुसार, प्रतिभूतियों को डीमैट स्वरूप में रखनेवाले वैयक्तिक शेयरधारकों को, डिपॉज़िटरी और डिपॉज़िटरी सहभागियों द्वारा संचालित अपने डीमैट खातों के जरिए मतदान करने की अनुमति है। ई-मतदान सुविधा प्राप्त करने के लिए शेयरधारक अपने डीमैट खाते में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अद्यतन करें।

उपर्युक्त सेबी परिपत्र के अनुसरण में, डीमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ रखनेवाले वैयक्तिक शेयरधारकों द्वारा ई-मतदान और वर्चुअल बैठकों में शामिल होने की प्रवेश प्रक्रिया निम्नानुसार है:

एनएसडीएल	सीडीएसएल
<p>1. आईडीईएस सुविधा के लिए पूर्व पंजीकृत उपयोगकर्ता</p> <p>I. यूआरएल/URL: https://eservices.nsdl.com</p> <p>II. 'आईडीईएस' खंड के अंतर्गत "लाभार्जक मालिक बेनिफिशियल ओनर" आइकन पर क्लिक करें।</p> <p>III. नए पेज पर उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड डालें। सफल प्रमाणीकरण के बाद 'ई-मतदान तक पहुँच (एक्सेस टू ई-वोटिंग)' पर क्लिक करें।</p> <p>IV. कंपनी के नाम या ई-मतदान सेवाप्रदाता पर क्लिक करें और आपको ई-मतदान सेवाप्रदाता की वेबसाइट पर ले जाया जाएगा जहाँ पर आप दूरस्थ ई-मतदान अवधि के दौरान मत दे सकते हैं।</p>	<p>1. वर्तमान उपयोगकर्ता जिन्होंने ईएसआई/ ईएसआईईएसटी का विकल्प लिया है</p> <p>I. यूआरएल : https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login या यूआरएल : www.cdslindia.com</p> <p>II. न्यू सिस्टम मायइज़ी पर क्लिक करें।</p> <p>III. उपयोगकर्ता आईडी एवं पासवर्ड से प्रवेश करें।</p> <p>IV. आगे किसी और प्रमाणीकरण बिना ई-मतदान पेज तक पहुँचने के लिए विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा।</p> <p>V. अपना मत देने के लिए ई-मतदान सेवाप्रदाता का नाम क्लिक करें।</p>
<p>2. उपयोगकर्ता आईडीईएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है</p> <p>I. पंजीकरण हेतु लिंक https://eservices.nsdl.com पर क्लिक करें:</p> <p>II. 'रजिस्टर ऑनलाइन फॉर आईडीईएस' का चयन करें।</p> <p>III. आवश्यक फाइलों को पूरा करते हुए आगे बढ़ें।</p> <p>वैकल्पिक रूप से,</p> <p>I. पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें: https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp</p> <p>II. आवश्यक फाइलों को पूरा करते हुए आगे बढ़ें।</p>	<p>2. उपयोगकर्ता ईएसआई/ईएसआईईएसटी के लिए पंजीकृत नहीं है</p> <p>I. पंजीकरण का विकल्प यहाँ उपलब्ध है: https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration</p> <p>II. आवश्यक फाइलों को पूरा करते हुए आगे बढ़ें।</p>
<p>3. एनएसडीएल की ई-मतदान वेबसाइट पर जाकर</p> <p>I. यूआरएल/URL: https://www.evoting.nsdl.com</p> <p>II. 'शेयरधारक/सदस्य' खंड के अंतर्गत उपलब्ध 'लॉग-इन' आईकन पर क्लिक करें।</p> <p>III. उपयोगकर्ता आईडी (यानी एनएसडीएल के पास स्थित 16-अंकीय डीमैट खाता), पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाई देनेवाला एक सत्यापन कोड दर्ज करें।</p> <p>IV. सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल डिपॉज़िटरी साइट पर ले जाया जाएगा जहाँ आप ई-मतदान पेज देख सकते हैं।</p> <p>V. कंपनी या ई-मतदान सेवाप्रदाता के नाम पर क्लिक करें और आपको ई-मतदान सेवाप्रदाता की वेबसाइट पर ले जाया जाएगा जहाँ पर आप दूरस्थ ई-मतदान अवधि के दौरान मत दे सकते हैं।</p>	<p>3. सीडीएसएल की ई-मतदान वेबसाइट पर जाकर</p> <p>I. यूआरएल : www.cdslindia.com</p> <p>II. डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करें।</p> <p>III. सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल एवं ई-मेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता का प्रमाणीकरण करेगा।</p> <p>IV. सफल प्रमाणीकरण के बाद उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी के लिए लिंक प्रदान किए जाएंगे जहाँ ई-मतदान प्रक्रिया चल रही है।</p>



8. डीमैट स्वरूप में शेयर रखनेवाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए डिपॉज़िटरी सहभागी के जरिए दूरस्थ ई-मतदान किए जाने हेतु अनुदेश

वैयक्तिक सदस्य एनएसडीएल/सीडीएसएल के पास पंजीकृत अपने डिपॉज़िटरी सहभागी के जरिए अपने डीमैट खाते के लॉग-इन ब्योरों का इस्तेमाल करके भी ई-मतदान सुविधा के लिए लॉग-इन कर सकते हैं। एक बार लॉग-इन करने पर सदस्य को ई-मतदान विकल्प दिखाई देने लगेगा। ई-मतदान विकल्प पर विलक्षण करने पर सदस्य सफल प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉज़िटरी की साइट पर ले जाया जाएगा। कंपनी का नाम या ई-मतदान सेवा प्रदाता का नाम विलक्षण करने पर सदस्य को ई-मतदान सेवा प्रदाता वेबसाइट पर ले जाया जाएगा, ताकि वह दूरस्थ ई-मतदान अवधि के दौरान अपना मत दे सके या वर्वुअल बैठक में शामिल हो सके तथा बैठक के दौरान मतदान कर सके।

महत्वपूर्ण सूचना: जो सदस्य उपयोगकर्ता आईडी/पासवर्ड स्मरण नहीं कर पा रहे हैं वे उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध उपयोगकर्ता आईडी भूल गए(फॉरगेट यूज़र आईडी) और पासवर्ड भूल गए(फॉरगेट पासवर्ड) विकल्प का उपयोग करें।

डीमैट स्वरूप में शेयर रखनेवाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए डिपॉज़िटरी, यथा सीडीएसएल एवं एनएसडीएल के जरिए लॉग-इन करने से जुड़े किन्हीं तकनीकी मुद्दों के लिए हेल्पडेस्क

जिन सदस्यों को कोई टेक्निकल समस्या आ रही है - NSDL	जिन सदस्यों को कोई टेक्निकल समस्या आ रही है - CDSL
लॉगिन में किसी भी टेक्निकल समस्या का सामना कर रहे सदस्य evoting@nsdl.co.in पर रिक्वेस्ट भेजकर या टोल फ्री नंबर: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल करके NSDL हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।	लॉगिन में किसी भी टेक्निकल समस्या का सामना कर रहे सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर रिक्वेस्ट भेजकर या 022-23058738 या 22-23058542-43 पर संपर्क करके CDSL हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।

9. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले भौतिक शेयरधारकों और डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग के लिए निर्देश

दूरस्थ ई-मतदान के लिए प्रक्रिया और तरीके का विवरण नीचे दिया गया है। प्रारंभिक पासवर्ड ईजीएम के नोटिस वाले ई-मेल के मुख्य भाग में दिया गया है।

- i. रिमोट ई-वोटिंग के लिए <https://evoting.kfintech.com> पर लॉग-इन करें
- ii. कट - आफ तिथि को शेयर रखने वाले बैंक के शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपना मत डाल सकते हैं।
- iii. लॉगइन विवरण (यानी एजीएम की नोटिस में उल्लिखित आईडी एवं पासवर्ड) दर्ज करें। आपका फोलियो नं./डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी ही आपका यूज़र आईडी होगा।
- iv. सही तरीके से विवरण भरने के पश्चात लॉगइन पर विलक्षण करें।
- v. अब आप पासवर्ड बदलने वाले पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां आपको अपना पासवर्ड अनिवार्य रूप से बदलना पड़ेगा। नए पासवर्ड में कम से कम 8 अक्षर होंगे जिनमें कम से कम एक अपर केस (A-Z), एक लोअर केस (e-z) अक्षर, एक संख्या (0-9) और एक विशेष चिह्न होगा। सिस्टम द्वारा पहली बार लॉग इन करने पर पासवर्ड बदलने तथा संपर्क-विवरण, जैसे मोबाइल नंबर, ई-मेल आदि को अपडेट करने के लिए कहा जाएगा। आप गुप्त प्रश्न में जाकर अपनी पसंद का उत्तर दर्ज कर सकते हैं जिससे यदि आप पासवर्ड भूल जाएं तो उसे पुनः प्राप्त कर सकें। आपको सचेत किया जाता है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें एवं उसे गोपनीय रखने हेतु पूरी सावधानी बरतें।
- vi. आपको नए विवरण के साथ फिर से लॉगइन करना होगा।
- vii. सफल लॉग-इन पर, सिस्टम आपको ईवेंट, यूको बैंक का चयन करने के लिए संकेत देगा। मतदान पृष्ठ पर, आपके द्वारा निर्दिष्ट तारीख को धारित शेयरों की संख्या (जो वोटों की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है) दिखाई देगी। यदि आप सभी मतों को संकल्प के पक्ष/विपक्ष में डालना चाहते हैं तो सभी शेयरों को दर्ज करें और 'पक्ष/विपक्ष', जैसी भी स्थिति हो, या आंशिक रूप से 'पक्ष' और आंशिक रूप से 'विपक्ष' पर विलक्षण करें लेकिन 'पक्ष' और/या 'विपक्ष' की कुल संख्या निर्दिष्ट तारीख को आपकी कुल शेयरहोल्डिंग से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप 'एब्स्टेन' विकल्प का भी चयन कर सकते हैं लेकिन धारित शेयरों की गणना किसी भी पक्ष में नहीं की जाएगी।



viii. एक उपयुक्त विकल्प चुनकर अपना मत डालें और सभिट' पर विलक करें। एक पुष्टीकरण बॉक्स प्रदर्शित किया जाएगा।

ix. कॉर्पोरेट/संस्थागत सदस्यों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि को छोड़कर) को प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के अभिप्राणित नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि की प्रमाणित प्रति की रस्कैन की गई छवि (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) को संवीक्षक को ईमेल snv@snaco.net पर भेजना होगा तथा अपने लॉग-इन में ई-वोटिंग मॉड्यूल में भी अपलोड करना होगा। उपरोक्त दस्तावेजों की स्कैन की गई छवि का नामकरण प्रारूप 'यूको बैंक इवेंट सं.' होगा।

x. निर्दिष्ट तारीख को शेयर धारित करनेवाले शेयरधारक संकल्प के पक्ष या विपक्ष में अपना मत दे सकते हैं।

xi. पुष्टि के लिए 'OK' पर या संशोधन करने हेतु 'CANCEL' पर विलक करें। एक बार पुष्टि करने के बाद आपको अपने मत के पुनःसंशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। मतदान अवधि के दौरान शेयरधारक कितनी भी बार भी लॉग इन कर सकते हैं, जब तक कि उन्होंने संकल्प पर मत न दे दिया हो।

xii. एकाधिक फोलियो/डीमैट खाते वाले शेयरधारक प्रत्येक फोलियो/डीमैट खाते के लिए अलग से मतदान प्रक्रिया का चयन करेंगे।

xiii. शेयरधारक द्वारा एक बार संकल्प पर अपना मत दे देने पर बाद में उसे पुनः संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

xiv. वोटिंग के लिए पोर्टल 12 मार्च, 2026 को सुबह 9 बजे से 15 मार्च, 2026 को शाम 5 बजे तक खुला रहेगा।

xv. आपका यदि कोई प्रश्न हो तो <https://evoting.kfintech.com> पर डाउनलोड भाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) तथा शेयरधारकों के लिए इ-वोटिंग यूजर मैन्युअल का अवलोकन कर सकते हैं अथवा केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड के दूरभाष संख्या -1-800-309-4001(टोल फ्री) पर संपर्क कर सकते हैं।

10. ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग हेतु सदस्यों के लिए निर्देश:

ईजीएम कार्यवाही के दौरान वीडियो स्क्रीन के बाएं कोने पर ई-वोटिंग 'थंब साइन' अध्यक्ष के निर्देश पर सक्रिय किया जाएगा। शेयरधारक उन्हें 'इंस्टापोल' पृष्ठ पर ले जाने के लिए उसी पर विलक करेंगे।

सदस्यों को संकल्प पृष्ठ पर पहुंचने के लिए 'इंस्टापोल' आइकन पर विलक करना है और संकल्प पर मतदान करने के लिए निर्देशों का पालन करना है।

केवल वे शेयरधारक, जो ईजीएम में उपस्थित हैं और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्प पर अपना मत नहीं डाला है और अन्यथा उन्हें ऐसा करने से वंचित नहीं किया गया है, वे ईजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मत डालने के लिए पात्र होंगे।



क्रम. सं.

नामांकन फॉर्म

(विनियमों के विनियम 65 (i) (डी) देखें)

सेवा में,
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
यूको बैंक
10, बीटीएम सरणी,
कोलकाता- 700001

महोदय,

निदेशक का चुनाव

आपके दिनांक 19.02.2026 के नोटिस के संदर्भ में, मैं..... यूको बैंक का एक शेयरधारक, 16 फरवरी 2026 अर्थात् चुनाव में भाग लेने की विनिर्दिष्ट तारीख तक प्रत्येक रु. 10/- केइकिवटी शेयरों का धारक हूँ और एतदद्वारा श्री / श्रीमतीपुत्र/पुत्री/ पत्नी निवासी को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के प्रावधान के अनुसार बुधवार, दिनांक 16 मार्च, 2026 को होनेवाली बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए यूको बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु नामित करता हूँ।

नाम	
हस्ताक्षर	
16 फरवरी, 2026 तक रखे गए शेयरों की संख्या	
रजि. फोलियो नंबर/डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी	
स्थान	
दिनांक	

टिप्पणी

- यदि किसी निगमित निकाय द्वारा नामांकन किया जाता है तो नामांकन फॉर्म के साथ पारित संकल्प की एक प्रमाणित वास्तविक प्रतिलिपि संलग्न की जानी चाहिए और उस पर जिस बैठक में इसे पारित किया गया है उसके अध्यक्ष के हस्ताक्षर होने चाहिए ।
- उम्मीदवारी नॉमिनेट करने वाले शेयरहोल्डर्स के सिग्नेचर बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास मौजूद सेंपल सिग्नेचर से मेल खाने चाहिए । (जैसा कि डिपॉजिटरी रिकॉर्ड्स में दर्ज है)
- यदि उपर्युक्त में से कोई कॉलम रिक्त छोड़ा गया या विवरण असत्य पाया गया तो नामांकन रद्द किया जा सकता है ।



उम्मीदवार द्वारा घोषणा
विनियमनों के विनियम 65 (i)(ई) का संदर्भ लें

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी,
श्री/श्रीमती

निवासी

एतदद्वारा पुष्टि करता हूँ /करती हूँ कि :

(क) मैं विनिर्दिष्ट तारीख अर्थात् दिनांक 16 फरवरी 2026 को निर्वाचन में भाग लेने के लिए फोलियो सं..... डीपी आईडी नं...../ ग्राहक आईडी नं..... बैंक के.....इवियटी शेयरों का धारक हूँ और बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने पर कार्यकाल के अंत तक शेयर रखने का वचन देता हूँ।

(ख) मुझे *(i) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, (ii) बैंकिंग, (iii) सहकारिता, (iv) अर्थशास्त्र, (v) वित्त (vi) कानून, (vii) लघु उद्योग, (viii) सूचना प्रौद्योगिकी, (ix) भुगतान और निपटान प्रणाली (x) मानव संसाधन (xi) जोखिम प्रबंधन (xii) व्यवसाय प्रबंधन और किसी अन्य मामले में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है, जिसका विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव, भारतीय रिजर्व बैंक की राशि में, बैंक के लिए उपयोगी होगा और मैं बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा 3A के संदर्भ में जमार्कर्ताओं और/या किसानों, श्रमिकों और कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हूँ और इसके प्रमाण के रूप में, मैं इसके साथ संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता हूँ,

(*जो लागू न हो उसे हटा दें।)

(ग) मैं, नामांकन संख्या..... स्वीकार करता/ करती हूँ तथा

(घ) मैं, यूको बैंक के शेयरधारक निदेशक का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हूँ तथा

(ङ) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970, यूको बैंक (शेरावर और बैठकें) विनियम, यथासंशोधित 2003, इस संबंध में आरबीआई द्वारा जारी संबंधित अधिसूचनाएं, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक के निदेशक होने से मुझे अयोग्य घोषित नहीं किया गया हूँ तथा

मैं निम्नलिखित के अनुसार विशेष रूप से घोषणा करता हूँ /करती हूँ कि

- i. मैंने, न तो लाभ का कोई पद धारण किया है और न ही मैं किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में परिभाषित किसी सहयोगी बैंक का कर्मचारी हूँ। तथा,
- ii. मुझे, किसी भी आर्थिक अधिकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित नहीं किया गया है, तथा
- iii. मुझे, किसी भी समय दिवालिया के रूप में घोषित नहीं किया गया है या मैंने लेनदारों का भुगतान अवरुद्ध या प्रशमन नहीं किया है; तथा
- iv. मुझे, सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत दिमाग का नहीं पाया गया है और किसी अपराध जिसमें नैतिक चरित्रहीनता भी शामिल है, के लिए फौजदारी न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है; तथा
- v. मैं किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था या आरबीआई या बीमा कंपनी या किसी एनओएफएचसी में निदेशक के पद पर नहीं हूँ, तथा
- vi. मैं, पूर्व में इस बैंक के बोर्ड में, किसी भी श्रेणी के अंतर्गत दो कार्यकाल या छह साल के लिए जो भी अधिक हो, लगातार या आंतरायिक रूप में निदेशक नहीं रहा हूँ/ रही हूँ, तथा
- vii. मैं, सार्वजनिक क्षेत्र के किसी बैंक/वित्तीय संस्था/आरबीआई/बीमा कंपनी के किसी श्रेणी के निदेशक के पद पर छह वर्ष तक लगातार अथवा संविराम नहीं रहा हूँ / रही हूँ ।



viii. मैं स्टाक बॉकिंग के व्यवसाय से जुड़ा /जुड़ी नहीं हूँ।

ix. मैं किसी भी हायर परचेज़, वित्तपोषण, धन उधार, निवेश, पट्टे और अन्य पैरा बॉकिंग गतिविधियों से जुड़ा नहीं हूँ।

x. मैंने, सांसद/या राज्य विधायिका या किसी नगर निगम का सदस्य या नगरपालिका या अन्य स्थानीय निकाय (यथा अधिसूचित क्षेत्र परिषद, पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद आदि) का पद धारण नहीं किया है।

xi. मैं, किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के भागीदार के रूप में कार्य नहीं कर रहा हूँ जो वर्तमान में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत है।

xii. मैं किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के भागीदार के रूप में कार्य नहीं कर रहा हूँ जो वर्तमान में यूको बैंक के सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक या समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत है जिसमें चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया गया है।

xiii. मेरा, न तो यूको बैंक के साथ कोई व्यावसायिक संबंध (कानूनी सेवाओं, सलाहकार सेवाओं आदि सहित) है और न ही मैं ऐसी गतिविधियों में संलग्न हूँ जिसके परिणामस्वरूप यूको बैंक के साथ व्यावसायिक हितों का टकराव हो सकता है।

xiv. यदि, किसी बैंक या किसी अन्य बैंक के किसी गैर-संचालित वित्तधारक कंपनी (एनओएफएचसी) के साथ मेरे घनिष्ठ व्यावसायिक संबंध रहे हों परंतु निदेशक के रूप में निर्वाचित होने और उसकी अवधि बीत जाने के बाद दो वर्षों की अवधि तक यूको बैंक के साथ मेरे व्यावसायिक संबंध नहीं रहेंगे, तथा

xv. मैं किसी नियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकारी/एजेंसी, या कानून प्रवर्तन एजेंसी के प्रतिकूल नोटिस के अधीन नहीं हूँ और मैं किसी भी ऋण देने वाली संस्था का डिफॉल्टर नहीं हूँ।

xvi. मैं निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करने से पहले अनुबंध पत्र (आरबीआई मास्टर दिशानिर्देश दिनांक 02.08.2019 के निर्धारित प्रारूप में) निष्पादित करने का वचन देता हूँ।

xvii. मैं, वचन देता हूँ कि यहां दी गई सूचनाओं से संबंधित यदि कोई विशेष बात होती है तो उससे मैं यथा शीघ्र पूरी तरह से बैंक को सूचित करूँगा। बैंक के निदेशक के रूप में मेरे निर्वाचित होने पर मैं डीड आफ कनवीनेंट्स निष्पादित करूँगा।

xviii. मैं, जब तक बैंक के निदेशक के पद पर कायम रहूँगा तब तक सेवा (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 यथासंशोधित के प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन करने का वचन देता हूँ।

xix. मुझे SEBI के किसी ऑर्डर या ऐसी किसी दूसरी अर्थात् अर्थात् अर्थात् अर्थात् की वजह से डायरेक्टर का पद संभालने से रोका नहीं गया है; और

xx. अन्य कंपनियों/बैंकों में अपने वर्तमान और पिछले निदेशकत्व का विवरण नीचे दे रहा हूँ:

कंपनी/बैंक/अन्य इकाइयों का नाम	निदेशकत्व का विवरण यथा कार्यकाल, निदेशकत्व का प्रकार और अवधि

यदि आवश्यक हो, अतिरिक्त शीट जोड़ें



xxi. मैं अपना व्यक्तिगत विवरण संलग्न करता हूं जो मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सभी तरह से सही और पूर्ण हैं।

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो सं. (यदि अभौतिक न हो)	
डीपी आईडी सं. ग्राहक आईडी सं. (यदि अभौतिक रूप में हो)	
स्थान	
दिनांक	

स्थान:

हस्ताक्षर _____

तिथि:

नाम _____

* उक्त घोषणा पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए।

हस्ताक्षर और मुहर के साथ तारीख

.....
* जज, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या एश्योरेंस के सब-रजिस्ट्रार, या किसी अन्य गजेटेड ऑफिसर या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या यूको बैंक या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर। (जो लागू न हो उसे हटा दें)



बैंक का नाम : यूको बैंक
 संभावित निदेशक (प्रत्याशी) द्वारा घोषणा एवं वचनपत्र
 (उपयुक्त अनुलग्नक के साथ)

यहां पासपोर्ट
 साइज की
 फोटो
 चिपकाएँ

क्र. सं.	विवरण	प्रदान सूचना		
I. व्यक्तिगत विवरण				
1.	पूरा नाम	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
2.	पिता का नाम			
3.	लिंग (पु./स्त्री/अन्य)			
4.	वर्तमान पता			
5.	ई-मेल एवं वैकल्पिक ई-मेल : एसटीडी कोड के साथ टेलीफोन न. : मोबाइल संख्या :			
6.	राष्ट्रीयता			
7.	जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष) एवं उम्र	___/___/___	उम्र: _____	वर्ष _____ माह
8.	शैक्षणिक योग्यता			
9.	निदेशक पहचान संख्या (डीआइएन)			
10.	आधार संख्या (वैकल्पिक)			
11.	(ए) स्थायी खाता संख्या (ऐन) (बी) वह प्रभार जहां प्रस्तावित निदेशक पर कर निर्धारण किया गया है (आयकर क्षेत्राधिकार)/ आयकर सक्किल/वार्ड का नाम और पता (सी) पिछले 3 वर्षों का रिटर्न फाइलिंग और कर भुगतान का विवरण	फाइलिंग की तिथि	कर भुगतान की राशि (रु.)	
12.	स्थायी पता			
13.	लेखा, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, वित्त, कानून, लघु उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे किसी एक या अधिक मामलों के संबंध में प्रासंगिक ज्ञान या अनुभव पर संक्षिप्त विवरण के रूप में विवरण, भुगतान और निपटान प्रणाली, मानव संसाधन, जोखिम प्रबंधन, व्यवसाय प्रबंधन या किसी अन्य मामले का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव जो रिजर्व बैंक की राय में बैंकिंग कंपनी के लिए उपयोगी होगा।			



14.	वर्तमान पेशा (पदनाम, संस्था का नाम और अनुभव का संक्षिप्त विवरण)					
15.	पिछला व्यवसाय जिसमें कम से कम दस वर्ष शामिल हो, कार्यरत संगठन का पूरा पता, कार्यग्रहण की तिथि, कार्यमुक्ति की तिथि (कारण सहित), पदनाम आदि।					
16.	सनदी लेखाकार के मामले में, कृपया मिनलिखित बताएं :					
	(ए) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान(आईसीएआई)					
	(बी) आईसीएआई में पंजीकरण की तिथि:					
	(सी) पंजीकृत फर्म का नाम और पता:					
	(डी) फर्म या आपके द्वारा वर्तमान में किए गए लेखापरीक्षा का विवरण					
17.	शाखा सहित बैंक(रों) के नाम एवं खाता संख्या (बचत/चालू/ऋण), जहां आप एक मुख्य खाताधारक हैं।	बैंक का नाम	शाखा	खाते का प्रकार	खाता संख्या	
18.	शेयरधारिता का विवरण, यदि आपके पति/ पत्नी और नाबालिक संतान द्वारा किसी इकाई में भौतिक या अभौतिक रूप में रखा गया है। (डीमैट/ शेयरहोल्डिंग प्रमाणपत्र संलग्न करें)					
19.	बैंक के निदेशक पद से संबंधित कोई अन्य जानकारी:					
II. प्रस्तावित निदेशक के प्रारंभिक संबंध						
20.	रिश्तेदारों की सूची, [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) एवं कंपनी (परिभाषा की विशिष्टता) नियम 2014 के नियम 4 का संदर्भ लें], यदि कोई हो, जो किसी भी बैंक से जुड़े हो:					
21.	संस्थाओं की सूची जिसमें :					
	(ए) इच्छुक है [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 का संदर्भ लें]:					
	(बी) लाभकारी स्वामित्व [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 89 के रूप में एमसीए के लागू महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामित्व नियमों का संदर्भ लें] :					
	(सी) न्यासी (एक ट्रस्ट के संदर्भ में किसी अन्य संबंध का भी उल्लेख करें :					
22.	बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 5 (एनई)1 के अर्थ के अंतर्गत पर्याप्त हित रखने वाली मौजूदा एवं प्रस्तावित संस्थाओं की सूची।	कंपनी/फर्म का नाम				
		निगमन का देश				
		शेयरों की संख्या				
		प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य				
		शेयर धारिता का कुल मूल्य				
		कुल पेट-अप पूँजी का शेयरधारिता %				
		लाभकारी हित (मूल्य में और % में)				
		क्या संस्था कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत धारा 8 की कंपनी है।				



1.	‘पर्याप्त हित’ (i) किसी कंपनी के संबंध में, इसका मतलब है किसी व्यक्ति या उसके पति/पत्नी या नाबालिंग बच्चे द्वारा, अकेले या साथ मिलकर, उसके शेयरों में लाभकारी इंटरेस्ट रखना, जिस पर भुगतान की गई राशि दो करोड़ रुपये या केंद्र सरकार द्वारा ऑफिशियल गजट में नोटिफाई की गई ऐसी अन्य राशि या कंपनी की पेट-अप कैपिटल का दस प्रतिशत, जो भी कम हो, उससे अधिक हो; (ii) किसी फर्म के संबंध में, इसका मतलब है किसी व्यक्ति या उसके पति/पत्नी या नाबालिंग बच्चे द्वारा, अकेले या साथ मिलकर, उसमें रखा गया लाभकारी इंटरेस्ट, जो उक्त फर्म के सभी पार्टनर्स द्वारा सब्सक्राइब की गई कुल कैपिटल के दस प्रतिशत से अधिक हो।
23.	विदेशों में शामिल संस्थाओं और भारत में कारोबार करने की जगह का विवरण।
24.	बैंक/एनवीएफसी/किसी अन्य कंपनी का नाम जिसमें वर्तमान में या पूर्व में बोर्ड/सलाहकार आदि का सदस्य है। (उस अवधि का विवरण दें जिसके दौरान ऐसे कार्यालय थे)
25.	अगर किसी भी संस्था द्वारा भाड़ की खरीद, वित्तपोषण, निवेश, पट्टे और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों (उल्लेख किए जाने वाले संस्था की प्रकृति) के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसका विवरण।
26.	यदि स्टॉक ब्रॉकर या शेयर ब्रॉकिंग गतिविधियों में संलग्न किसी भी इकाई से जुड़ा हुआ है, तो उसका विवरण।
27.	निधि और गैर-निधि-आधारित सुविधाओं का विवरण, यदि कोई हो, वर्तमान में व्यक्तिगत रूप से और/या (21) से (26) में सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा प्राप्त किया गया है।
28.	ऐसे मामले, यदि कोई हो, जहां किसी व्यक्ति या उपर्युक्त (21) से (26) में सूचीबद्ध संस्थाओं ने किसी बैंक/एनवीएफसी/किसी अन्य ऋण देने वाली संस्था से प्राप्त केडिट सुविधाओं के संबंध में पूर्व में चूक की हो या उन्हें इरादतन चूककर्ता घोषित किया हो।

III. व्यवसायिक उपलब्धियों का रिकार्ड

29.	निदेशक पद हेतु संगत व्यावसायिक उपलब्धियाँ।
-----	--

IV. संभावित निदेशक के विरुद्ध की गई कार्यवाही, यदि कोई हो

30.	(ए) एक पेशेवर संस्था/निकाय के सदस्य के रूप में, अनुशासनात्मक कार्यवाई का विवरण, यदि कोई हो, तो लंबित या शुरू या जिसके परिणामस्वरूप पूर्व में दोषी ठहराया गया हो या (21) से (26) के लिए सूचीबद्ध संस्थाएँ आर्थिक कानूनों और नियमों का उल्लंघन हुआ हो। (बी) यदि किसी भी पेशेवर शिकायत या गतिविधियों के संबंध में किसी भी लिखित शिकायत या आरोप का विषय है, तो उसका विवरण।
31.	अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो, लंबित या शुरू या जिसके परिणामस्वरूप स्वयं को दोषी ठहराया गया हो या (21) से (26) के लिए सूचीबद्ध संस्थाएँ आर्थिक कानूनों और नियमों का उल्लंघन हुआ हो।
32.	आपराधिक अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो, लंबित या सजा या जिसके परिणामस्वरूप सजा हुई हो।
33.	यदि एमएल/सीएफटी के किसी भी दिशानिर्देशों उल्लंघन में लिप्त हैं, तो उसका विवरण।
34.	यदि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत परिकल्पना की गई किसी भी अयोग्यता को आकर्षित करती है, तो उसका विवरण।
35.	यदि दिवालिया घोषित कर दिया गया है या भुगतान रोक दिया है या लेनदारों के साथ समझौता कर लिया है, तो उसका विवरण।
36.	यदि कोई अस्वस्थ मरित्क का पाया जाता है और एक सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित किया जाता है, तो उसका विवरण।



37.	(ए) यदि किसी अपराध को एक दंड न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया जाता है जिसमें अधमता या अन्य शामिल हो, उसका विवरण। (बी) यदि किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया जाता है, तो उसका ब्योरा क्या है?	
38.	पूर्णकालिक निदेशक पद के अतिरिक्त, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के अंतर्गत कोई लाभ का पद धारक हो, तो उसका विवरण।	
39.	यदि एक व्यक्ति के रूप में या उपर्युक्त (21) से (26) तक की कोई भी संस्था किसी पूर्ववर्ती नियोक्ता या सरकारी विभाग या एजेंसी से किसी जाँच/सतर्कता/पूछताछ के मामले के अधीन रही है, तो उसका विवरण।	
40.	यदि सीमा शुल्क / उत्पाद शुल्क / आयकर / विवेशी मुद्रा / अन्य राजस्व अधिकारियों द्वारा नियमों / विनियमों / विधायी आवश्यकताओं के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो उसका विवरण।	
41.	यदि सेबी, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए जैसे किसी भी नियमक संगठन, सरकारी एजेंसी, या अदालत द्वारा पेशेवर आचरण या गतिविधियों के कारण फटकार, निंदा, प्रतिवधित, निलंबित, वर्जित आदेश दिया गया है, या अन्यथा मंजूरी दी गयी है, तो उसका विवरण। (यद्यपि किसी अध्यर्थी के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह आदेशों और निष्कर्षों, जिन्हें बाद में पूर्णतः बदल दिया/रद्द कर दिया गया, का उल्लेख करें, किन्तु यदि बदलाव, रद्द करना, सीमांकन अथवा क्षेत्राधिकार इत्यादि जैसे तकनीकी कारणों से किया गया हो तो इसका उल्लेख करना आवश्यक होगा। यदि आदेश अस्थायी रूप से स्थगित कर दिए जाएं जहां अपील/न्यायालय प्रक्रियाएँ लंबित होने पर भी इनका उल्लेख किया जाना चाहिए।)	

V. सामान्य जानकारी

42.	यदि कोई सनदी लेखाकार, वकील आदि जैसे पेशेवर और किसी भी बैंक में कोई पेशेवर काम करते हैं / वर्तमान में, बैंक के नाम और बैंक के संबद्धता की अवधि सहित विवरण प्रदान करें।	
43.	यदि कोई सांसद / विधायक / एमएलसी या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों में राजनीतिक पद पर है, तो उसका विवरण प्रदान करें।	
VI.	प्रकटीकरण और पारदर्शिता के हित में, उपर्युक्त और उचित 'का आकलन करने के लिए प्रासंगिक कोई अन्य जानकारी हो' तो इसका विवरण प्रदान करें।	

वचनपत्र

मैं पुष्टि करता हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है। मैं वचन देता हूँ कि मेरी नियुक्ति किए जाने के बाद ऊपर प्रदान कि गई सूचना से प्रासंगिक जो कुछ भी घटित होगा उन सभी बातों से मैं बैंक को शीघ्र से शीघ्र पूर्णतया अवगत कराऊंगा।
मैं 'प्रसंविदा विलेख' भी निष्पादित करने का वचन देता हूँ जिसे बैंक के साथ निष्पादित करने की आवश्यकता है।

स्थान : तारीख :		उम्मीदवार के हस्ताक्षर
नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) की टिप्पणियों ने आवश्यक किया है कि उपर्युक्त जानकारी सत्य और पूर्ण है।		
		एनआरसी के अध्यक्ष के हस्ताक्षर
स्थान : तारीख :		एनआरसी के अध्यक्ष का नाम



भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

1. भौतिक शेयरों के धारकों द्वारा पैन, संपर्क विवरण, नामांकन आदि प्रस्तुत करना

- सेबी दिशानिर्देश, के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी- पीओडी-1/ पी/सीआईआर/ 2023/37, दिनांक 16.03.2023 के अनुसार, भौतिक रूप से शेयर रखने वाले शेयरधारकों द्वारा बैंक/ बैंक के आरटीए को अपने संबंधित फोलियो संख्या के लिए वैध पैन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण, नमूना हस्ताक्षर और नामांकन विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- भौतिक शेयर रखने वाले सभी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक/आरटीओ को निम्न उल्लिखित प्रपत्रों में वैध पैन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नामांकन अविलंब प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	प्रारूप	प्रयोजन
1	फॉर्म आईएसआर -1	पैन, संपर्क विवरण और केवाईसी विवरण के पंजीकरण/ अद्यतन हेतु।
2	फॉर्म आईएसआर -2	बैंकर द्वारा शेयर धारक के हस्ताक्षर की पुष्टि हेतु।
3	फॉर्म आईएसआर -3	नामांकन से बाहर रहने हेतु घोषणा पत्र।
4	फॉर्म एसएच -13	नामांकन फार्म।
5	फॉर्म एसएच -14	नामांकन रद्द करना या बदलना (यदि कोई हो)

उपरोक्त सभी फॉर्म बैंक की वेबसाइट पर निवेशक अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध हैं, जिन्हें निम्नलिखित लिंक से एकसेस किया जा सकता है - <https://www.ucobank.com/English/quarterly-results.aspx> शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे विधिवत भरे हुए फॉर्म निम्न उल्लिखित आरटीए के पते पर प्रेषित करें।

सेबी ने अपने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी-पीओडी-1/ पी/सीआईआर/2023/181, दिनांक 17.11.2023 के माध्यम से निम्न प्रावधानों को विलोपित कर दिया गया है -

- फोलियो को फ्रीज करना जहां अनिवार्य विवरण जैसे पैन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण, नमूना हस्ताक्षर और नामांकन विवरण उपलब्ध नहीं है।
- बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और/या धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत आरटीए/ सूचीबद्ध कंपनी द्वारा प्रशासनिक प्राधिकरण को फोलियो का रेफरल।

2. **भौतिक शेयरों का अंतरण :-** सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के अनुसार 01 अप्रैल, 2019 से भौतिक मोड में रखी गई प्रतिभूतियों का अंतरण बंद कर दिया गया है। तदनुसार, शेयरों का अंतरण केवल तभी किया जा सकता है जब शेयर डीमेट रूप में रखे गए हो।

सेबी ने 30 जनवरी, 2026 के अपने परिपत्र “Ease of Doing Investment – Special Window for Transfer and Dematerialisation of Physical Securities” के ज़ारिए, 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदी गई भौतिक प्रतिभूतियों के ट्रांसफर-कम-डीमैटरियलाइजेशन के लिए एक बार की स्पेशल विंडो दी है। यह स्पेशल विंडो 5 फरवरी, 2026 से 4 फरवरी, 2027 तक एक साल के लिए खुली रहेगी और इसमें वे मामले भी शामिल हैं जहां पहले ट्रांसफर रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी गई थीं या उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। ऐसे सभी ट्रांसफर सिएर्फ डीमैटरियलाइज़ेट फॉर्म में ही होंगे और रजिस्ट्रेशन की तारीख से एक साल के लॉक-इन के तहत होंगे।

ज्यादा जानकारी के लिए, शेयरहोल्डर सेबी की वेबसाइट पर उपलब्ध सेबी परिपत्र देख सकते हैं: SEBI Circular

3. **भौतिक शेयरों का अभौतिकीकरण:-** सेबी ने परिपत्र सं सेबी/एचओ/एमआईआरएसडीड्डुआरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2022/8, दिनांक 25 जनवरी 2022 के माध्यम से निर्णय लिया कि सूचीबद्ध कंपनियां शेयर प्रमाण पत्र की अनुलिपि/ पारेषण/ प्रतिस्थापन आदि के अनुरोधों पर कार्रवाई करते समय अब से केवल डीमेट रूप में प्रतिभूतियाँ जारी करेंगी।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, हम बैंक के सभी शेयरधारकों, जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं, से अनुरोध करते हैं कि वे कृपया अपने शेयरों को अभौतिक करा लें।



डीमैट फॉर्म में शेयरों को रखने के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:

- i. भौतिक शेयर प्रमाण पत्र की क्षति या हानि की संभावना समाप्त हो जाती है;
- ii. शेयर प्रमाण पत्र(ओं) को फाड़ने या जालसाजी या विकृत करने की संभावना समाप्त हो जाती है;
- iii. अमूर्तीकरण (डिमटेरियलाइजेशन) शेयरों के कागजरहित (पेपरलेस) ट्रेडिंग की सुगमता और सुविधा प्रदान करता है। एक बार डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ डीमैट खाता खोलने के बाद, शेयरधारक आसानी से इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर खरीद या बेच सकता है।

4. भौतिक रूप में उपलब्ध शेयरों के अभौतिकीकरण की प्रक्रिया:

क. शेयरधारकों के लिए जिनके पास डीमैट खाता नहीं है:

- शेयरधारक(ओं) को किसी भी सेबी पंजीकृत डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क कर उसी नाम और शैली में डीमैट खाता खोलना होगा जिसमें शेयरधारक यूको बैंक में शेयर रखते हैं।
- डीमैट खाता खोलने के उपरांत, शेयरधारकों को मूल शेयर प्रमाण पत्र (डीआरएफ) सहित विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित डीमैट अनुरोध फॉर्म को डीपी को समर्पित करना होगा, जो इसे बैंक के आरटीए को अग्रेषित करेगा।
- आरटीए डीआरएफ की सत्यापन जांच करेगा और यदि व्यवस्थित पाया जाता है, तो शेयरधारक(ओं) के डीमैट खाते में समान संख्या में शेयर जमा किए जाएंगे।

ख. पूर्व से ही डीमैट खाता रखने वाले शेयरधारकों के लिए:

- जिन शेयरधारकों के पास पहले से ही डीमैट खाता है, उन्हें यह जांचना आवश्यक है कि मौजूदा डीमैट खाता यूको बैंक में रखे गए भौतिक शेयरों के अनुसार उसी नाम और शैली में है या नहीं।
- यदि हां, तो शेयरधारकों को मूल शेयर प्रमाण पत्र(ओं) के साथ विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित डीआरएफ डीपी को प्रस्तुत करना होगा, जो इसे बैंक के आरटीए को अग्रेषित करेगा।
- आरटीए डीआरएफ की सत्यापन जांच करेगा और यदि व्यवस्थित पाया जाता है, तो शेयरधारक(ओं) के डीमैट खाते में समान संख्या में शेयर जमा किए जाएंगे।
- यदि उपलब्ध डीमैट खाता नाम के समान क्रम में नहीं है, तो सलाह हेतु शेयरधारक(ओं) को अपने डीपी से संपर्क करना आवश्यक है।
- यदि उपलब्ध शेयर प्रमाण पत्र के विवरण में कोई बदलाव होता है, तो कृपया नीचे उल्लिखित पते पर हमारे आरटीए यानी केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड या बैंक से संपर्क करें।

5. शेयर धारकों के लिए संपर्क बिंदु -

<p>मैसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (इकाई यूको बैंक) सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट सं 31 एवं 32 गाचीबोवली, फ़ाइनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500032 ई-मेल: einward.ris@kfintech.com</p>	<p>कंपनी सचिव यूको बैंक प्रधान कार्यालय वित विभाग, शेयर अनुभाग 2 इंडिया एक्स्चेंज प्लेस, तृतीय तल कोलकाता - 700001 पीएच - 033 44557227 ईमेल - hosgr.calcutta@uco.bank.in</p>
--	--



UCO Bank, Head Office : 10, B.T.M. Sarani, Kolkata - 700001

NOTICE

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting (EGM) of the Shareholders of UCO BANK will be held on **Monday, the 16th March, 2026 at 11.00 A.M. through Video Conference/Other Audio Visual Means (VC/OAVM)** to transact the following business :-:

Item no. 1 : Election of Shareholder Director

To elect **ONE Director** from amongst the shareholders of the Bank (other than the Central Government) in terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the "Act") read with the Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as "the B R Act") and Nationalized Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the "Scheme") and the UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003, as amended (hereinafter referred to as "Regulations") made pursuant to Section 19 of the Act and Reserve Bank of India (Commercial Banks - Governance) Directions, 2025 dated 28.11.2025 and further amendment thereto, if any (hereinafter referred to as "RBI Directions") and any amendments made thereunder by passing the following resolution:-

"RESOLVED THAT ONE Director elected from amongst shareholders of the Bank other than the Central Government in Casual Vacancy, pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with B R Act, Scheme, Regulations and RBI Directions be and is hereby appointed as a Director of the Bank with effect from Date/Deemed Date of assumption of office for a period upto 09.01.2028.

The aforesaid Resolution shall also be considered to be passed under the provisions of Regulation 25 (2A) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended

Item no. 2: Approval for Extension of Tenure of Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director, UCO Bank for a further period of three years

To consider and if thought fit, to pass the following as an **Ordinary Resolution** :-

"RESOLVED THAT pursuant to first proviso to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, read with clause (a) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with paragraph 8 (1) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, vide its notification no. eF.No.4/4(iv)/2024-BO.I dated 15th September 2025, has extended the tenure of Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director, UCO Bank for a further period of three years beyond his currently notified term ended on 20th November, 2025 or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved."

By Order of Board of Directors
For UCO Bank

sd/-

Place : Kolkata
Date : 19.02.2026

(Ashwani Kumar)
Managing Director & CEO



1. Explanatory Statement

The Explanatory Statement setting out material facts in respect of Item Nos. 1 & 2 as set out in this Notice, is as under :-

Item no. 1 :- Election of One Shareholder Director

Pursuant to Section (9)(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, only one shareholder director can be elected on the Board of the Bank as the current public shareholding in the Bank is less than 16%.

Accordingly, shareholders (other than the Central Government) had elected Ms. Rachna Khare as Shareholder Director, who assumed office on 10th January 2025. She has tendered her resignation from the post of Shareholder Director of the Bank vide her letter dated 25th December 2025 and ceased to be a director of the Bank w.e.f. 25th December, 2025.

Consequent upon cessation of directorship of Ms. Rachna Khare, casual vacancy for one Shareholder Director has arisen in our Bank.

Clause 11B of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, stipulates that (i) where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of an elected director, the vacancy shall be filled in by election and (ii) a person so elected shall hold office for the unexpired portion of the term of his/her predecessor.

Accordingly, as per the provisions under Clause 11B of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the term of office of the Shareholder Director proposed to be elected in Casual vacancy will be upto 09.01.2028 i.e. upto the unexpired portion of the term of his predecessor, Ms. Rachna Khare.

As per provisions under Clause 63 (i) of the Regulations, the director has to be elected by the shareholders on the register, other than the Central Government, from amongst themselves in the General Meeting of UCO Bank.

With a view to fill in the said casual vacancy, the Board of Directors have decided to conduct Election of One Director from amongst Shareholders other than the Central Government (Shareholder Director) at the EGM to be held on 16th March, 2026.

The Shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in relevant Act, Scheme, Regulations, Notification and Guidelines.

The Shareholder Director will be elected after the scrutiny of the nominations which the Shareholders submit to the Bank and determination of his/her 'Fit & Proper' Status by the Nomination and Remuneration Committee of the Board / Board of Directors and subsequent election at the EGM. The Shareholder Director, so elected, shall assume office from the day next to the date of election and shall hold office for a period upto 09.01.2028.

2. LEGAL PROVISIONS

The relevant extracts / portions of the relevant Act/Scheme/Regulations/Notifications/Guidelines have been reproduced hereunder:



Acts/Scheme/ Regulations/Notifications	Provisions	Short Particulars
The Banking Regulation Act, 1949	Section 5 (ne)	Substantial Interest
	Section 16 (1)	Prohibition of Common Directors
	Section 20	Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3(2E)	Restriction on voting rights
	Section 9(3)(i)	No. of directors to be elected by the shareholders
	Section 9(3A)(A) to (C)	Special knowledge in certain fields
	Section 9(3AA) and Section 9(3AB)	No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe.
	Section 9(3B)	Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9 (3AA) of the said Act.
	Section 13(2)	Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalized Banks (Management and Miscel- laneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9(4)	Term of office of elected directors
	Clause 10	Disqualifications from being elected as a Director of the Bank
	Clause 11	Vacation of office of Director
	Clause 11A	Removal from office of an elected Director
	Clause 11B	Filling of casual vacancy in the office of an elected Director
	Clause 12(8)	Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested
	Clause 14A, Special provision	If the Board is satisfied that quorum for meeting of Committee cannot be met on account of either existence of any vacancy in such Committee or recusal by member thereof, the Board may do that act or thing.



Acts/Scheme/ Regulations/Notifications	Provisions	Short Particulars
UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended	Regulation 10	Exercise of rights of joint holders
	Regulation 63	Directors to be elected at General Meeting
	Regulation 64	List of Shareholders
	Regulation 65	Nomination of candidates for election
	Regulation 66	Scrutiny of nominations
	Regulation 67	Election disputes
	Regulation 68	Determination of voting rights
	Regulation 69	Voting by duly authorized representative
Reserve Bank of India (Commercial Banks - Governance) Directions, 2025 dated 28.11.2025	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Fit and Proper criteria for Elected Directors.
RBI Master Circular dated 1 st July 2015, as amended including any further circular in this regard.		Granting loans and advances to relatives of Directors
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.		Provisions relating to Independent Director and their appointment.

For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from the Act, Regulation, the Scheme as well as RBI Directions will be hosted on the Bank's website. www.ucobank.in. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request by e-mail at hosgr.calcutta@ucobank.in on or before the last date fixed for submission of nomination forms i.e. 05.00 pm of 27th February, 2026



3. Voting Right

For Agenda Item No. 1, Bank has fixed **Monday, the 16th February, 2026** as the Specified Date (cut-off date) for the purpose of ascertaining the eligibility of the shareholders to participate (**nominate, contest and vote**) in the election of ONE Director from amongst the shareholders of the Bank other than the Central Government

Subject to the restrictions under Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, shareholder other than Central Government who has been registered as a shareholder on the Specified/Cut-off Date will be entitled to vote in the Election of Shareholder Director of the Bank and shall have one vote for each share held by him/her as on that Date. However, it may be noted that Central Government is not entitled to participate in the election of director, but may attend the EGM as an observer.

For Agenda Item no. 2, Bank has fixed **Monday, 9th March, 2026 as the Cut-off date** for determining the eligibility of shareholders for e-voting in terms of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 read with Regulation 44 of SEBI Listing Regulations.

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Further as per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the name of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to nominate, contest and vote.

4. Participation in Election Process:

As already indicated earlier, those shareholders whose name appear on the Register of Shareholders for those holding shares in physical mode or in the list of Beneficial Owners as furnished by NSDL/CDSL for those holding shares in Demat mode, as on the Specified Date i.e., on Monday, the 16th February, 2026, shall be entitled to participate i.e. nominate, contest and vote in election of one Director from amongst the shareholders other than the Central Government.

5. List of Shareholders

As provided in Regulation 64 of the UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended, a copy of the List of Shareholders (in electronic form) will be available with Company Secretary at UCO Bank Finance Department, Head Office, 2 India Exchange Place, 3rd Floor, Kolkata-700001 of the Bank from 23rd February 2026 onwards for purchase by Shareholders on payment of Rs.50,000/- (Rupees Fifty Thousand only) by Demand Draft/Pay Order in favour of UCO Bank payable at Kolkata. The candidates desirous of purchasing the said list shall have to give an undertaking that the list will be used in canvassing for the election and shall not be used for any other purpose whatsoever.

The Register of Shareholders (in electronic form) will be open for inspection from 23rd February 2026 with the Company Secretary at UCO Bank Finance Department, Head Office, 2 India Exchange Place, 3rd Floor, Kolkata-700001 on all working days (other than Bank Holidays) between 11.00 am to 04.00 pm. If any shareholder requires a copy or computer print of select/part information, the same shall be supplied to him on prepayment at the rate of Rs.5/- for every 1000 words or fractional part thereof required to be copied.



6. Qualifications required for being elected as a Director of the Bank

In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Act shall:

a. have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters namely:-

- Agriculture and rural economy
- Banking
- Co-operation
- Economics
- Finance
- Law
- Small scale industry
- Any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank.

b. Represents the interest of depositors; or

c. Represents the interest of farmers, workers and artisans

RBI Directions has extended the fields of specialization to include (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management, for persons who could be considered for appointment of director in the banks.

In terms of Section 9(3AA) of the Act, a candidate being a shareholder of the Bank, desires to be a Director of the Bank should possess 'Fit and Proper' status based on track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank of India may notify from time to time in this regard. RBI Directions, inter-alia, lays down "Fit and Proper" Criteria for the persons being elected as Directors on the Board of the PSBs under the provisions of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970. Further, the elected Director shall have to execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

7. Disqualifications from being elected as a Director of the Bank

a. In terms of Clause 10 of the Nationalized Bank (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being, a Director :

- If he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or



- If he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- If he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
- If he holds any office of profit under any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank and

b. If he is not found to be 'fit and proper' person in terms of RBI Directions by the Nomination and Remuneration Committee of the Board of the Bank, such person shall not be elected as director.

8. Nomination of Candidates for Election:

In terms of Regulation 65 of the Regulations and in terms of RBI Directions and other applicable provisions of various Acts, Rules, Regulations and guidelines, nomination of a candidate for election as a Director shall be valid provided:

- He /she is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares of UCO Bank as on 16th February, 2026 being the Specified Date (cut-off date) of reckoning for participation in the election, either in physical or demat mode, and continues to hold a minimum of 100 shares till the date of the meeting and thereafter till the end of his/ her tenure, if he/she is elected.
- As on Friday, 27th February, 2026, being the last date for receipt of nomination, he/she is not disqualified to be Director under the Act/Scheme/Regulation/RBI Directions.
- The valid nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Director under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of the Bank addressed to the Company Secretary, UCO Bank Finance Department, Head Office, 2, India Exchange Place, Kolkata - 700001 and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.
- The valid nomination (minimum 100) are to be accompanied by a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank that (i) he/she accepts the nomination and is willing to stand for election, (ii) he/she is not disqualified under Banking Regulation Act, 1949 or the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 or the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 Or the UCO Bank (Shares and Meetings) Amendments Regulations, 2003 and RBI Directions as applicable to Non-official Directors.
- The nomination forms shall be accompanied with his /her personal details (bio data) duly signed and affirming that such details are true to the best of his/her knowledge and belief and also his/her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.
- The proforma of nomination form and declaration form are annexed to this notice and also made available under on the Bank's website www.uco.bank.in



9. Submission of Nomination Forms

Shareholders desirous of contesting the election of one Directors of the Bank from amongst the shareholders, other than the Central Government should submit:

- Duly filled in Declaration Form as per the prescribed format;
- Valid Nominations from minimum of hundred shareholders entitled to participate in the election;
- Personal Information, Declaration and Undertaking together with the connected documents, testimonials, viz. self-attested copies of Bio-data, Certificate of Educational Qualifications, Experience, etc. in the formats annexed to the Notice.

in a sealed envelope super scribing thereon - "**UCO BANK - ELECTION OF SHAREHOLDER DIRECTOR**" either by hand delivery or through Speed Post/Regd. Post/Courier addressed to -

**Company Secretary,
UCO Bank
Finance Department, Head Office,
2, India Exchange Place, 3rd Floor,
Kolkata - 700001**

so as to reach on any working day on or before **5.00 p.m., on Friday, 27th February, 2026**

The said nomination forms and other documents should be complete in all respects failing which; the nominations are liable to be rejected.

Please note that the Bank shall not be responsible for non-receipt of Nomination forms, in case the same are dispatched through Speed Post/Regd. Post/Courier to an address other than the aforementioned address OR hand delivered without receipt of acknowledgement from the Company Secretary.

10. Scrutiny of Nominations and Election of Directors:

- Nominations shall be scrutinized on Monday, 2nd March 2026, the first working day following the date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons therefor.
- Valid Nominations shall then be subjected to scrutiny by the Nomination and Remuneration Committee (NRC) of the Board in terms of the RBI Directions.

The Bank may at the time of scrutiny of Nominations or as advised by the NRC of the Board seek further information, documents from the candidates in support of his/her candidature.

- After scrutiny, if there is only one valid nomination for the one vacancy to be filled by the election, the candidate so nominated and found Fit & Proper, shall be deemed to be elected forthwith and his / her name and address shall be published as so elected. In such an event, there shall not be any election/voting and the agenda item no. 1 at



the Extraordinary General Meeting shall not be considered and stand withdrawn. The candidate deemed to get elected/declared elected will assume office from the date following the date on which he/she deemed to get elected/declared elected.

- If there are more than one valid nomination, election will be held and candidates polling the majority of the votes at the election will be deemed to have been elected and their name will be published in newspapers and the website of the Bank and will also be informed to the Stock Exchanges.

11. Withdrawal of Nominations

If any candidate desires to withdraw his/her nomination, he/she would be entitled to do so by sending scanned copy of the signed letter to this effect addressing to the **Company Secretary, UCO Bank, Head Office, Kolkata at hosgr.calcutta@uco.bank.in by 5.00 p.m., on or before 11th March, 2026.**

12. Voting Results

The Bank has appointed M/s. S N Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries as Scrutinizer who will oversee the conduct of the remote e-voting and e-voting at the EGM in a fair and transparent manner.

The Scrutinizer shall submit a consolidated Scrutinizer's Report on the total votes (Remote e-voting and E-voting during the meeting) cast to the Chairman of the Meeting within two working days of conclusion of the EGM and thereafter, the Bank shall declare the result of the voting forthwith by placing the Results along with the Scrutinizer's Report on the website of Stock Exchanges and the Bank.

13. Election Disputes

If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003.

14. Removal of a Director

Attention of shareholders is invited to Section 9(3B) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 on the right of Reserve Bank of India to remove a Director so elected under Section 9(3)(i) of the said Act, who does not fulfil the requirements of Section 9(3A) of the said Act.

15. Communication with Share Transfer Agents

Shareholders are requested to intimate changes, if any, in their registered address or any other particulars through their Depository Participant in case of shares held in DEMAT form and in case of physical shares to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank at the following address :



KFin Technologies Limited,
Unit : UCO BANK,
Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli,
Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032
Toll free - 1-800-309-4001

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting User Manual for Shareholders available at the download section of <https://evoting.kfintech.com> or contact Mr. Sashidhar S Mannava, Vice President of KFin Technologies Ltd, at sashi.mannava@kfintech.com at toll free no. 1-800-309-4001.

16. Share Section & Investors Grievance Cell

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, the Bank has set up Investors Grievance Cell at its Head Office, Kolkata, Shareholders and investor may contact this Cell at the under mentioned address for any assistance :

Shri Vikash Gupta, Company Secretary, Shares Section & Investor Grievance Cell, UCO Bank, Head Office : 2, India Exchange Place (3rd Floor), Kolkata - 700 001, Telephone : 033-44557227

17. Interest of Directors

Directors of the Bank to the extent of their shareholding and such Directors who file their nominations may be deemed to be concerned or interested in the aforesaid item of business.

Item no. 2 :- Approval for Extension of Tenure of Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director, UCO Bank for a further period of three years

Mr. Rajendra Kumar Saboo was initially appointed as Executive Director on the Board of UCO Bank for a period of three years by Government of India vide its notification eF.No.4/6/2021-BO.I dated 21st November, 2022, which ended on 20th November, 2025. Subsequently, the Central Government has extended the tenure of Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director, UCO Bank for a further period of three years beyond his existing term ended on 20th November, 2025 or until further orders, whichever is earlier.

Brief Profile of Mr. Rajendra Kumar Saboo is as under :

Shri Rajendra Kumar Saboo started his career as a Probationary Officer in erstwhile Oriental Bank of Commerce in the year 1994 and has a rich banking experience in various capacities at field and administrative offices. He acted as Branch head, Regional Head and Cluster Head at various locations. In his capacity as General Manager, he headed Integrated Treasury & International Banking, Digital Banking and Wealth Management. Before joining UCO Bank, Shri Saboo was the Chief General Manager in Punjab National Bank heading Strategic Management, Economic Advisory, MIS and Data Analytics.

Shri Rajendra Kumar Saboo is a Post Graduate in Commerce and holds a Master Degree in Business Administration (Banking & Finance). He is a Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB) and holds a certificate for Advanced Diploma in Management. He had undergone the Leadership Development Program for Senior Management of PSBs conducted through Financial Services Institutions Bureau (FSIB).



Shri Rajendra Kumar Saboo has experience across multiple banking domains viz. Branch Banking, Credit, HR, Treasury etc.

Other details in terms of Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are as under:

- Brief Profile of the director is given above which highlights his expertise in Banking Sector. Further, the skill/capabilities/expertise as required in the context of banking business was assessed by Government of India and based on which, appointment was made.
- There is no inter-se relationship between Directors.
- Directorship in other listed entities along with listed entities from which the Executive Director has resigned in the past three years - None

Pursuant to first proviso to Regulation 17(1C) of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure requirements) Regulations, 2015, Bank is required to ensure that the approval of the shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting.

To comply with above regulations, the Board of Directors of the Bank recommended the appointment of Mr. Rajendra Kumar Saboo, Executive Director to the shareholders' for their approval.

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Mr. Rajendra Kumar Saboo or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are interested or concerned in the said resolution.

By Order of Board of Directors
For UCO Bank

sd/-

Place : Kolkata
Date : 19.02.2026

(Ashwani Kumar)
Managing Director & CEO



GENERAL INSTRUCTIONS FOR ACCESSING AND PARTICIPATING IN THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING (EGM) THROUGH VC/OAVM FACILITY AND VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS INCLUDING REMOTE E-VOTING

1. Extraordinary General Meeting through Video Conference/Other Audio-Visual Means (VC/OAVM)

Pursuant to the various circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars") with regard to holding of Extraordinary General Meeting through Video Conferencing (VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM) and in compliance with the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Extraordinary General Meeting will be held through Video Conferencing (VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM) without the physical presence of the Members at a common venue.

The deemed venue for the EGM shall be UCO Bank Head Office, 10, BTM Sarani, Kolkata-700001. As the EGM will be held through VC/OAVM facility, the Route Map is not annexed in this Notice as required under Secretarial Standard 2.

2. Facility for Participation in EGM

The facility for participation in the EGM through VC/OAVM, voting through remote e-voting and e-voting during the EGM, will be provided by M/s KFin Technologies Limited, Registrar and Transfer Agent (RTA) of the Bank. M/s KFin Technologies Limited will also act as attendant enabler for EGM.

Shareholders may join the EGM through VC/OAVM facility by following the procedure mentioned in the Notice, which shall be kept open for the shareholders on 16th March, 2026 from 10:30 a.m. i.e., 30 minutes before the time scheduled to start the EGM. The Window for joining the EGM through VC/OAVM facility may be closed 30 minutes after the scheduled start time.

The facility of participation at the EGM through VC/OAVM will be made available for at least 1000 members on first come first served basis. This restriction will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the EGM without restriction on account of first come first served basis.

3. Attendance

The attendance of the Members attending the EGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum.

4. Appointment of Proxy and Authorized Representative

Since this EGM is being held pursuant to the MCA Circulars through VC / OAVM, physical attendance of Members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the members will not be available for this EGM and hence the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to this Notice.



However, the Body Corporates are entitled to appoint authorized representatives to attend the EGM through VC/OAVM and participate thereat and cast their votes through e-voting. In this connection, scanned copy of relevant Board Resolution is required to be sent along with attested signature of the Authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the scrutinizer by email to snv@snaco.net with a copy marked to evoting@kfintech.com and hosgr.calcutta@ucobank.co.in, not less than four days before the date of the meeting on or before Wednesday, 11th March, 2026.

An employee or officer of the Bank cannot be appointed as authorized representative as per provisions of UCO Bank (Shares and Meetings) Regulation, 2003.

5. Instructions for shareholders for attending EGM through VC/OAVM

- Member will be provided with a facility to attend EGM through VC/OAVM provided by KFin Technologies Limited. Members may access the same at <https://emeetings.kfintech.com> and click on the "Video Conference" and access the shareholders/members login by using the remote e-voting credentials.
- The link for EGM will be available in shareholder/member login by using the remote e-voting credentials. The link for EGM will be available in shareholder/members login where the EVENT and UCO Bank can be selected.
- Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice to avoid last minute rush.
- Members are encouraged to join the Meeting through Laptops with Google Chrome for better experience.
- Further, Members will be required to use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
- Please note that participants connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

6. Voting through electronic means

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended) read with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014, (as amended), and the MCA Circulars, the Bank is providing facility of remote e-voting to its Members in respect of the business to be transacted at the Extraordinary General Meeting.

The members, who are holding shares as on cut-off date(s) are entitled to participate in the remote e-voting process, through the e-voting platform provided by KFin Technologies Limited or to vote at the meeting. Person who is not a member as on cut-off date should treat this notice for information purpose only.

In terms of UCO Bank (Shares and Meetings) Regulation 2003, in case of joint holders, the Member whose name appears first as per the Register of Members of the Company will be entitled to vote at the EGM provided the votes are not already casted through remote e-voting.



7. INSTRUCTION FOR REMOTE E-VOTING THROUGH DEPOSITORYIES (NSDL/CDSL) FOR INDIVIDUAL SHAREHOLDERS HOLDING SHARES IN DEMAT FORM

In terms of SEBI circular SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020 on e-voting facility provided by Listed Companies, individual shareholders holding securities in Demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-voting facility.

Pursuant to aforesaid SEBI Circular, Login method for e-Voting and joining virtual meetings for Individual shareholders holding securities in Demat mode is given below:

NSDL	CDSL
<p>1. User already registered for IDeAS facility:</p> <p>I. URL: https://eservices.nsdl.com</p> <p>II. Click on the "Beneficial Owner" icon under 'IDeAS' section.</p> <p>III. On the new page, enter User ID and Password. Post successful authentication, click on "Access to e-Voting"</p> <p>IV. Click on company name or e-Voting service provider and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting the vote during the remote e-Voting period.</p>	<p>1. Existing user who have opted for Easi / Easiest</p> <p>I. URL: https://web.cdsindia.com/myeasi/home/login or URL: www.cdsindia.com</p> <p>II. Click on New System Myeasi</p> <p>III. Login with user id and password.</p> <p>IV. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication.</p> <p>V. Click on e-Voting service provider name to cast your vote.</p>
<p>2. User not registered for IDeAS e-Services</p> <p>I. To register click on link : https://eservices.nsdl.com</p> <p>II. Select "Register Online for IDeAS"</p> <p>III. Proceed with completing the required fields.</p> <p>Alternatively,</p> <p>I. To register click on link : https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp</p> <p>II. Proceed with completing the required fields.</p>	<p>2. User not registered for Easi/Easiest</p> <p>I. Option to register is available at https://web.cdsindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration</p> <p>II. Proceed with completing the required fields.</p>
<p>3. By visiting the e-Voting website of NSDL</p> <p>I. URL: https://www.evoting.nsdl.com/</p> <p>II. Click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section.</p> <p>III. Enter User ID (i.e. 16-digit demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.</p> <p>IV. Post successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page.</p> <p>V. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period.</p>	<p>3. By visiting the e-Voting website of CDSL</p> <p>I. URL: www.cdsindia.com</p> <p>II. Provide demat Account Number and PAN No.</p> <p>III. System will authenticate user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the demat Account.</p> <p>IV. After successful authentication, user will be provided links for the respective ESP where the e- Voting is in progress.</p>



8. INSTRUCTIONS FOR REMOTE E-VOTING THROUGH DEPOSITORY PARTICIPANT FOR INDIVIDUAL SHAREHOLDERS HOLDING SHARES IN DEMAT FORM

Individual Member can also login using the login credentials of his/her demat account through his/her Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. Once login, the member will be able to see e-Voting option. Click on e-Voting option the member will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication. Click on company name or e-Voting service provider name and the member will be redirected to e-Voting service provider website for casting the vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at above mentioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL

Members facing any technical issue - NSDL	Members facing any technical issue - CDSL
Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 or 22-23058542-43.

9. INSTRUCTION FOR REMOTE E-VOTING FOR SHAREHOLDERS HOLDING SHARES IN PHYSICAL FORM AND SHAREHOLDERS OTHER THAN INDIVIDUAL SHAREHOLDERS HOLDING SHARES IN DEMAT FORM

The details of the process and manner for remote e-voting are given below. The initial pass word is provided in the body of the e-mail comprising of the notice of EGM.

- i. Log-in-to for Remote e-voting portal at <https://evoting.kfintech.com>
- ii. Shareholders of the Bank holding shares as on the cut-off date may cast their vote electronically.
- iii. Enter the initial login credentials (i.e., user id and password mentioned in the email comprising notice of EGM). Your Folio No./DP ID & Client ID will be your user ID.
- iv. After entering the details appropriately, click on LOGIN.
- v. You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (e-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, email etc. on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- vi. You need to login again with the new credentials.
- vii. On successful login, the system will prompt you to select the EVENT i.e., UCO Bank. On the voting page, the number of shares (which represents the number of votes) held by you as on the cut-off date will appear. If you desire to cast all the votes assenting/dissenting to the resolution, enter all shares and click 'FOR'/'AGAINST' as the case may be or partially in 'FOR' and partially in 'AGAINST', but the total number in 'FOR' and/or 'AGAINST' taken together should not exceed your total shareholding as on the cut-off date. You may also choose the option 'ABSTAIN' and the shares held will not be counted under either head.



viii. Cast your votes by selecting an appropriate option and click on 'SUBMIT'. A confirmation box will be displayed.

ix. Corporate/institutional members (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned image (PDF/JPG format) of certified true copy of relevant board resolution/authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who is/are authorized to vote, to the Scrutinizer through email at snv@snaco.net and may also upload the same in the e-voting module in their login. The scanned image of the above documents should be in the naming format 'UCO BANK_EVENT No.'

x. Those holding shares as on the Cut-off Date can cast their vote in favour of or against the resolution.

xi. Click OK to confirm else CANCEL to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, shareholders can login any number of times till they have voted.

xii. Shareholders holding multiple folios/demat account shall choose the voting process separately for each folios/demat account.

xiii. Once the vote on the resolution is cast by the shareholder, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

xiv. The Portal will be open for voting from: 9 a.m. on 12th March, 2026 to 5 p.m. on 15th March, 2026.

xv. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting User Manual for shareholders available at the download section of <https://evoting.kfintech.com> or contact M/s KFin Technologies Ltd. on 1800 345 4001 (Toll free)

10. INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR VOTING DURING THE EGM:

The e-voting "Thumb Sign" on the left-hand corner of the video screen shall be activated upon instructions of the chairman during the EGM proceedings. Shareholders shall click on the same to take them to "instapoll" page.

The members to click on the "Instapoll" icon to reach the resolution page and follow the instructions to vote on the resolution.

Only those shareholders, who are present in the EGM and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system available during the EGM.



NOMINATION FORM

(Refer Regulation 65 (i) (d) of the Regulations)

Sr. No. -

To
 The Managing Director & CEO
 UCO Bank,
 10, B.T.M. Sarani,
 Kolkata - 700 001

Dear Sir,

ELECTION OF DIRECTOR

With reference to your Notice Dated 19.02.2026, I,....., a shareholder of UCO Bank holding.....equity shares of Rs. 10/- each as on 16th February, 2026 i.e. the Specified date for participating in the election, do hereby nominate Shri/Smt.....son/daughter/wife ofresiding at for being elected as a Director of UCO Bank representing the shareholders of the Bank as provided in Section 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on 16th March, 2026.

Name	
Signature	
No. of shares held as on 16 th February, 2026	
Regd. Folio No./ DP ID & Client ID	
Place	
Date	

Notes :

- 1) In case nomination is made by a body corporate, the Nomination Form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
- 2) Signature of the shareholders nominating the candidature should match with the specimen signature available with the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank.(As recorded in the Depository Records)
- 3) If any of the columns above is left Blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.



Declaration by the Candidate
(Refer Regulation 65 (i) (e) of the Regulations)

I, son/daughter/ wife of
 Shri/Smt. a resident of hereby confirm that:

- a. I am a shareholder holding.....equity shares of the Bank under Folio No...../ DPID No...../Client ID No..... as on 16th February, 2026 i.e. the specified date for participating in the elections, and undertake to hold the shares till the end of the tenure, if elected as a Director of the Bank;
- b. I have special knowledge or practical experience in *(i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance (vi) law, (vii) small scale industry, (viii) Information Technology, (ix) Payment and Settlement Systems (x) Human Resources (xi) Risk Management (xii) Business Management and any other matter or the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of Reserve Bank of India, be useful to the Bank and I represent the interest of the depositors and/ or farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials,

(*Delete whichever is not applicable.)

- c. I accept the nominations numbering....., and
- d. I am willing to contest for the election of Director of UCO Bank, and
- e. I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings), Act 1970, Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the UCO Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2003 as amended, relevant Notifications issued by the Reserve Bank of India, Guidelines issued by the Govt. of India, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Companies Act 2013, in this regard, and

I specifically declare as under :

- i. I neither hold any office of profit nor am an employee of any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959; and
- ii. I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other Court; and
- iii. I have not been at any time adjudicated as an insolvent or have suspended payment or have been compounded with the creditors; and
- iv. I have not been found to be of unsound mind and stand so declared by a competent court and has not been convicted by competent court and have not been convicted by a criminal court of an offence which involves moral turpitude; and
- v. I am not member of the Board of any Bank or Financial Institution or RBI or Insurance Company, or a NOFHC holding any other Bank ; and
- vi. I have not been a Director on the Board of this Bank, in the past, under any category for two terms or six years whichever is longer; whether continuously or intermittently; and
- vii. I have not served as Director in the past on the board of any Bank/FI/ RBI/Insurance Company under any category for six years, whether continuously or intermittently; and



- viii. I am not engaged in the business of stock broking; and
- ix. I am not connected with any hire purchase, financing, money lending, investment, leasing and other para banking activities; and
- x. I am not holding the position of a Member of Parliament or State legislature or Municipal Corporation or Municipality or other local bodies (other local bodies means bodies such as Notified Area Council, City Council, Panchayat, Gram Sabha, Zila Parishad, etc.); and
- xi. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as a Statutory Central Auditor of any Nationalised Bank or State Bank of India; and
- xii. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor of the UCO Bank in which nomination for election is filed; and
- xiii. I neither have any business connection (including legal services, advisory services etc.) with the UCO Bank nor am I engaged in activities which might result in a conflict of business interests with UCO Bank; and
- xiv. I will sever professional relationship, if any, with a Bank or any Non-operative Financial Holding Company (NOFHC) holding any other Bank forthwith on getting elected before assuming charge as a Director and will not undertake any professional relationship with UCO Bank during my tenure as Director and for a period of two years thereafter; and
- xv. I am not under adverse notice of any regulatory or supervisory authority/agency, or law enforcement agency and I am not defaulter of any lending institution; and
- xvi. I undertake to execute Deed of Covenant (in the prescribed format of RBI Master Directions dated 28.11.2025) before assuming office as a Director; and
- xvii. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank; and
- xviii. I undertake to comply with the relevant provisions of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended till I hold the position of Director of the Bank; and
- xix. I am not debarred from holding the office of director by virtue of any SEBI order or any other such authority; and
- xx. I give below the details of my present as well as past directorship details in other companies/ banks:

Name of the company/Bank/Other entities	Directorship details viz. Tenure, nature of directorship & Period

Add additional sheet, if necessary.



xxi. I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief true and complete in all respects.

Name	
Signature	
No. of shares	
Regd. Folio No. (if not dematerialized)	
DP ID No. Client ID No. (if dematerialized)	
Place	
Date	

Place :

Signature _____

Date :

Name _____

*The above declaration signed before me.

Signature and Seal with Date

.....
*Signature with Seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance, or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or UCO Bank or any nationalized Bank. (delete whichever is not applicable)



Name of the Bank: UCO Bank

Declaration and Undertaking' by a Proposed Director (candidate)
(with appropriate enclosures)

Affix
passport size
photo here

Sl. No.	Particulars	Information Disclosed		
I. Personal Details				
1.	Name in full	First Name	Middle Name	Last Name
2.	Father's name			
3.	Gender (M/F/others)			
4.	Present address			
5.	E-mail address & alternate e-mail address: Telephone Number with STD code: Mobile Number:			
6.	Nationality			
7.	Date of Birth (dd/mm/yyyy) and Age	____ / ____ / ____	Age: _____ years _____ months	
8.	Educational qualifications			
9.	Director Identification Number (DIN)			
10.	Aadhaar Number (Optional)			
11.	(a) Permanent Account Number (PAN) (b) Charge where the proposed director is assessed to tax (Income Tax jurisdiction)/name and address of Income Tax Circle/Ward (c) Details of filing of return(s) and payment of taxes for past 3 years	Date of filing	Amount of tax paid (Rs.)	
12.	Permanent address			
13.	Details in the form of a brief write up on the relevant knowledge or experience in respect of one or more of the matters namely accountancy, agriculture and rural economy, banking, co-operation, economics, finance, law, small scale industry, information technology, payment and settlement systems, human resources, risk management, business management or any other matter the special knowledge of and practical experience of which would in the opinion of the Reserve Bank be useful to the Banking Company.			



14.	Present occupation (designation, name of the organization and brief write-up on experience)																						
15.	Previous occupation covering minimum of past ten years, with complete address of the organization(s) worked in, date of joining, date of relieving (including reasons), designation, etc.																						
16.	In case a Chartered Accountant, indicate the following: <ul style="list-style-type: none"> (a) Membership Number of Institute of Chartered Accountants of India (ICAI): (b) Date of registration with the ICAI: (c) Name and Address of the registered firm/s: (d) Details of the Audit(s) presently undertaken by the firm(s) or by you: 																						
17.	Name of the banker(s) with Branch and Account Numbers (savings/ current/loan accounts) where you are a primary account holder:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Bank Name</th> <th style="text-align: left;">Branch</th> <th style="text-align: left;">Type of A/c</th> <th style="text-align: left;">A/c Number</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				Bank Name	Branch	Type of A/c	A/c Number														
Bank Name	Branch	Type of A/c	A/c Number																				
18.	Details of shareholding, if held in any entity, either in physical or dematerialized form, by you, spouse, and your minor child. (attach demat/shareholding certificate)																						
19.	Any other information relevant to directorship of the bank:																						
II. Relevant Relationships of proposed director																							
20.	List of relatives, [Refer Section 2(77) of the Companies Act, 2013 and Rule 4 of the Companies (Specification of Definition) Rules, 2014] if any, who are connected with any bank:																						
21.	List of entities in which: <ul style="list-style-type: none"> (a) interested [Refer Section 184 of the Companies Act, 2013]: (b) beneficial ownership [Refer Section 89 of Companies Act, 2013 as also the applicable Significant Beneficial Ownership Rules of MCA]: (c) Trustee (also mention any other relationship with reference to a trust): 																						
22.	List of entities, existing and proposed, in which holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) ¹ of the Banking Regulation Act, 1949.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Name of the company / firm</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Country of incorporation</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Number of shares</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Face Value of each share</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Total face value of share holding</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Shareholding as % of total</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Paid up Capital</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Beneficial interest (in value as well as % terms)</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Whether the entity is a Section 8 Company under Companies Act, 2013</td> <td> </td> </tr> </table>				Name of the company / firm		Country of incorporation		Number of shares		Face Value of each share		Total face value of share holding		Shareholding as % of total		Paid up Capital		Beneficial interest (in value as well as % terms)		Whether the entity is a Section 8 Company under Companies Act, 2013	
Name of the company / firm																							
Country of incorporation																							
Number of shares																							
Face Value of each share																							
Total face value of share holding																							
Shareholding as % of total																							
Paid up Capital																							
Beneficial interest (in value as well as % terms)																							
Whether the entity is a Section 8 Company under Companies Act, 2013																							



¹"substantial interest" (i) in relation to a company, means the holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, in the shares thereof, the amount paid up on which exceeds five lakhs of rupees or ten percent of the paid-up capital of the company, whichever is less; (ii) in relation to a firm, means the beneficial interest held therein by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, which represents more than ten per cent of the total capital subscribed by all the partners of the said firm.

23.	Details of holdings in entities incorporated abroad and having a place of business in India.	
24.	Name of Bank/NBFC/any other company in which currently or in the past a member of the Board/Advisoretc. (giving details of period during which such office is being/ was held).	
25.	If connected with any entity undertaking hire purchase, financing, investment, leasing and other para banking activities (nature of association to be mentioned), details thereof.	
26.	If a stock broker or connected with any entity engaged in share broking activities, details thereof.	
27.	Details of fund and non-fund-based facilities, if any, presently availed in person and/or by entities listed in (21) to (26) above.	
28.	Cases, if any, where as an individual or the entities listed at (21) to (26) above have defaulted or declared as willful defaulter in the past in respect of credit facilities obtained from a bank/NBFC/any other lending institution.	

III. Records of professional achievements

29.	Professional achievements relevant for the directorship.	
-----	--	--

IV. Proceedings, if any, against the proposed director

30.	(a) As a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past or whether been banned from entry at any profession/ occupation at any time, details thereof. (b) If subject of any written complaint or accusation regarding individual professional conduct or activities, details thereof.	
31.	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction of self or the entities listed at (21) to (26) above for violation of economic laws and regulations.	
32.	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction.	
33.	If indulged in any breach of AML/CFT guidelines, details thereof.	
34.	If attracting any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Companies Act, 2013, details thereof.	
35.	If adjudicated insolvent or has suspended payment or has compounded with creditors, details thereof.	
36.	If found to be of unsound mind and stands so declared by a competent Court, details thereof.	



37.	(a) If convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude or otherwise, details thereof. (b) If convicted by any Court of law, details thereof?	
38.	If holding any office of profit under any nationalized bank or State Bank of India, except for holding the post of a whole-time director, details thereof.	
39.	If as an individual or any of the entities at (21) to (26) above have been subject to any investigation/vigilance/ matters of enquiry from any of the previous employers or government departments or agency, details thereof.	
40.	If found guilty of violation of rules/ regulations/ legislative requirements by customs/ excise/ income tax/ foreign exchange/ other revenue authorities, details thereof.	
41.	If reprimanded, censured, restricted, suspended, barred, enjoined, or otherwise sanctioned by any regulator such as SEBI, IRDAI, PFRDA etc., professional organization, government agency, or court because of professional conduct or activities, details thereof. <i>(Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings which have been later on reversed/ set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal/ setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, and not on merit. If the order is temporarily stayed and the appellate/ court proceedings are pending, the same also should be mentioned.)</i>	

V. General Information

42.	If a professional like Chartered Accountant, Advocate etc. and presently undertaking/ undertaken any professional work in any bank, provide details thereof including the name of the bank and period of association with the bank.	
43.	If a sitting MP/MLA/MLC or holding political position in Municipal Corporation or Municipality or other local bodies, provide details thereof.	
VI	In the interest of disclosure and transparency, should there be any other information relevant for assessing 'fit and proper' , provide details thereof.	

Undertaking

I confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief, true and complete. I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place after my appointment which are relevant to the information provided above.

I also undertake to execute a 'Deed of Covenant' as required to be executed with the bank.

Place :		Signature of Candidate
Date :		
Remarks of Nomination and Remuneration Committee (NRC) of having satisfied itself that the above information is true and complete.		
		Signature of the Chair of the NRC
Place :		Name of the Chair of the NRC
Date :		



IMPORTANT NOTICE TO HOLDERS OF PHYSICAL SHARES

1. Furnishing of PAN, Contact Details, Nomination etc. by holders of physical shares

- As per SEBI guidelines, the shareholders holding shares in physical form shall mandatorily furnish valid PAN, contact details, Bank A/c details, Specimen Signature and nomination details for their corresponding folio numbers to the Bank/RTA of the Bank.
- All the shareholders holding physical shares are requested to furnish valid PAN, contact details, Bank account details and nomination details immediately in the below mentioned forms to the Bank/ RTA.

S No.	Form	Purpose
1	Form ISR-1	To register/update PAN, Contact details & KYC details
2	Form ISR-2	To Confirm Signature of securities holder by the Banker
3	Form ISR-3	Declaration Form for opting-out of Nomination
4	Form SH-13	Nomination Form
5	Form SH-14	Cancellation or Variation of Nomination (if any)

All the above forms are available on the website of the Bank under investor section which can be accessed from the following link - <https://www.ucobank.com/English/quarterly-results.aspx> . Shareholders are requested to submit duly filled in forms to the address of RTA mentioned below.

2. Transfer of Physical shares - In terms of Regulation 40(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, transfer of securities held in physical mode has been discontinued w.e.f. April 01, 2019. Accordingly transfer of shares can be done only if the shares are held in demat form.

SEBI, vide its circular dated January 30, 2026 on "Ease of Doing Investment - Special Window for Transfer and Dematerialisation of Physical Securities", has provided a one-time special window for transfer-cum-dematerialisation of physical securities acquired prior to 1 April 2019. The special window shall remain open for one year from February 5, 2026 to February 4, 2027 and also covers cases where earlier transfer requests were rejected or remained unprocessed. All such transfers shall be effected only in dematerialised form and shall be subject to a lock-in of one year from the date of registration.

For detailed information, shareholders may refer to the SEBI Circular available on SEBI's website: SEBI Circular

3. Dematerialization of Physical shares - SEBI vide Circular No. SEBI/HO/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2022/8 dated 25th January 2022, decided that listed companies while processing requests for issue of duplicate share certificate, transmission, transposition, etc., shall henceforth issue the securities in demat form only.

In view of above, we request all shareholders of the Bank, who hold the shares in physical form to kindly dematerialize their shares.

Major advantages of holding the shares in Demat form are as follows:

- Possibility of damage or loss of Physical share certificate is eliminated;
- Possibility of tearing or forgery or mutilation of share certificate(s) are eliminated;
- Dematerialization provides the ease and convenience of paperless trading of shares. Once a demat account is opened with a Depository Participant (DP), shareholder can easily buy or sell shares in electronic form.



4. Process for dematerialization of shares In Physical Form :

A. For shareholder(s) who are not having a Demat account:

- The shareholder(s) is/are required to approach any SEBI Registered Depository Participant (DP) and open a Demat Account in the same name(s) and style in which the shareholder(s) hold shares in UCO Bank.
- After opening of the Demat Account, shareholder(s) has to surrender the original share certificate(s) along with duly filled-in and signed Demat Request Form (DRF) to the DP, who will forward the same to Bank's RTA.
- The RTA will scrutinize/ verify the DRF and, if found in order, equivalent number of shares will be credited to the Demat account of the shareholder(s)

B. For shareholders already having a Demat account:

- The shareholder (s) who are already having the Demat Account are required to check whether the existing Demat Account is in the same name(s) and style as per the physical shares held in UCO Bank.
- If yes, shareholder(s) has to submit duly filled in and signed DRF along with original share certificate(s) to the DP who will forward the same to Bank's RTA.
- The RTA will scrutinize/ verify the DRF and, if found in order, equivalent number of shares will be credited to the Demat account of the shareholder(s).
- If the existing Demat Account is not in the same order of name, the shareholder(s) is/are required to approach his/her DP for guidance.
- In case there is change in details of existing share certificates, kindly contact our RTA i.e. KFin Technologies Ltd or Bank at address mentioned below.

5. Contact Point for Shareholders -

<p>M/s. KFin Technologies Limited (Unit UCO Bank) Selenium Tower B, Plot No. 31& 32 Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500032 e-mail: einward.ris@kfintech.com</p>	<p>Company Secretary UCO Bank Head Office Finance Department, Shares Section 2 India Exchange Place, 3rd Floor Kolkata - 700001 Ph - 033 44557227 Email - hosgr.calcutta@uco.bank.in</p>
---	--